2025 का विधेयक संख्यांक 194

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. अधिनियम का लागू होना ।
3. परिभाषाएं ।
4. अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन ।

अध्याय 2

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान

5. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना ।
6. आयोग की संरचना ।
7. आयोग के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव का उत्तरदायित्व ।
8. आयोग की बैठकें।
9. आयोग के कृत्य ।

अध्याय 3

विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद्

10. विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद् की स्थापना ।
11. विनियामक परिषद् के कार्य ।
12. संघटक महाविद्यालयों आदि की स्थापना।

भाग 4

विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद्

13. प्रत्यायन परिषद् की स्थापना ।
14. प्रत्यायन परिषद् के कृत्य ।

अध्याय 5

विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद्

15. मानक परिषद् की स्थापना ।
16. मानक परिषद् के कृत्य ।

अध्याय 6

साधारण उपबंध

17. डिग्री प्रदान करने का अधिकार ।
18. आयोग के अध्यक्ष की अर्हता और नियुक्ति ।
19. परिषदों के अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता ।

खंड

20. परिषदों के अध्यक्षों और सदस्यों, आयोग तथा परिषदों के सदस्य-सचिव की नियुक्ति ।
21. खोजबीन-सह-चयन समिति ।
22. राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सभापति, परिषदों के अध्यक्षों, परिषदों के सदस्यों और नामितियों की पदावधि ।
23. आयोग या परिषदों में आकस्मिक रिक्तियों को भरना ।
24. आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यो या परिषदों के सभापतियों या परिषदों के सदस्यों को हटाया जाना ।
25. आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य या परिषदों के सभापतियों या सदस्यों द्वारा घोषणा ।
26. पुन: नियोजन का निर्बंधन ।
27. संबंधित परिषदों के सभापतियों और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों तथा आयोग और परिषदों के सदस्य-सचिव के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ।
28. आयोग या परिषदों की कार्यवाहियों का रिक्ति आदि के कारण अविधिमान्य न होना ।
29. पद की शपथ ।
30. आयोग और परिषदों के मुख्य कार्यालय ।
31. आयोग और परिषदों के सचिवालय ।
32. सदस्यों आदि का लोक सेवकहोना ।

अध्याय 7

उल्लंघन, शास्तियां और अधिनिर्णयन

33. शास्तियां ।
34. शास्तियों का अधिनिर्णयन ।
35. शास्तियों से प्राप्त राशियों का जमा किया जाना ।
36. शास्ति से छात्रों के हितों का प्रभावित न होना ।
37. आयोग या परिषद् के आदेश या विनिश्चयों के विरूद्ध अपील ।

अध्याय 8

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

38. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।
39. आयोग को निधि ।
40. बजट ।
41. लेखा और संपरीक्षा ।
42. केन्द्रीय सरकार को विवरणियों तथा रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

43. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग या परिषदों के साथ व्यक्तियों का अस्थायी संगम ।
44. आयोग और प्रत्येक परिषद् के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ।
45. केन्द्रीय सरकार को निदेश जारी करने की शक्ति।

खंड

46. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
47. इस अधिनियम के अधीन आयोग स्थापित आयोग और परिषदों को अतिष्ठित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।
48. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
49. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।
50. नियम बनाने की शक्ति।
51. विनियम बनाने की शक्ति ।
52. संसद के समक्ष रखा जाना ।
53. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
54. संक्रमणकालीन उपबंध ।
55. निरसन और व्यावृत्ति ।

2025 का विधेयक संख्यांक 194

[विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025 का हिन्दी अनुवाद]

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025

उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और अवधारण के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार में श्रेष्ठता के उच्चतर स्तरों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को समर्थ बनाने और सशक्त करने, और उस प्रयोजन के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान का गठन करने के प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के स्वतंत्र स्वशासी संस्था बनने को सुकर करने के लिए और प्रत्यायन तथा स्वायत्तता की एक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से श्रेष्ठता की अभिवृद्धि करने के लिए, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम, 2025 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

अधिनियम का लागू होना ।

2. (1) यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू होगा,—

(क) भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्र के अधीन संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के सभी संस्थान ;

(ख) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की ऐसी संस्थाएं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए ;

(ग) भारत में विश्वविद्यालय, जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या किसी अन्य संस्था, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के उपबंधों के अधीन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा की किसी अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो, द्वारा स्थापित या निगमित हो ; 1956 का 3

(घ) इस अधिनियम के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों या उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं से संबद्ध महाविद्यालय और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं;

(ङ) वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन विनियमित संस्थाएं ; 1972 का 20

(च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 द्वारा विनियमित संस्थाएं ; 1987 का 52

(छ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के अधीन विनियमित संस्थाएं ; 1993 का 73

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायन प्राप्त मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा संस्थाएं ;

(झ) प्रख्यात संस्थाएं ;

(ञ) ऐसे अन्य वृत्तिक परिषदों द्वारा विनियमित संस्थाएं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए; और

(ट) अन्य कार्यक्रम और संस्थाएं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(2) वास्तुविद अधिनियम, 1972 या मुक्त और दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा सहित सभी विद्या शाखाओं में उच्चतर शिक्षा के विनियमन को शासित करने वाले किसी भी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, इस अधिनियम के उपबंध उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों के समन्वय और अवधारण से संबंधित किसी भी मामले पर लागू होंगे : 1972 का 20

परंतु इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि

वह वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन गठित स्थापत्य कला परिषद् मुक्ति अपनी वृत्तिक व्यवसाय को विनियमित करने की शक्तियों को निर्बंधित करती है ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वृत्तिक व्यवसाय पद वास्तुविद अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन उक्त वृत्ति का व्यवसाय करने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के प्रति निर्देश है ।

(3) इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित द्वारा विनियमित संस्थाओं के ऐसे वृत्तिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे—

1948 का 8 (क) भारतीय भेषजी परिषद् अधिनियम, 1948 के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद्;

1961 का 25 (ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद्;

1984 का 52 (ग) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् ;

1992 का 34 (घ) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद् ;

2019 का 30 (ङ) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अधीन गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ;

2020 का 14 (च) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 के अधीन गठित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग ;

2020 का 15 (छ) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के अधीन गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग; और

2021 का 14 (ज) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 के अधीन गठित राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग;

2023 का 26 (झ) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति-विद्या आयोग अधिनियम 2023 के अधीन गठित राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति-विद्या आयोग ;

2023 का 21 (ञ) राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 के अधीन गठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग;

(ट) ऐसे अन्य कार्यक्रम, संस्थाएं, आयोग या परिषदें, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परंतु ऐसे वृत्तिक कार्यक्रम इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आने वाले किसी भी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा इस संबंध में संबद्ध कानूनी निकाय द्वार अधिकथित कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति के अधीन प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

परिभाषाएं ।

3. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रत्यायन" से उसके व्याकरणिक रूपान्तरणों सहित उच्चतर शिक्षा में क्वालिटी नियंत्रण की प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा, प्रत्यायन परिषद् द्वारा परिभाषित मूल्यांकन या निर्धारण या किसी अन्य वैज्ञानिक पद्धति के परिणामस्वरूप, किसी उच्चतर शिक्षण संस्था या उसमें संचालित किसी कार्यक्रम को

क्वालिटी, स्वशासन और स्वायत्तता के निर्धारित और श्रेणीबद्ध स्तरों को प्राप्त करने के रूप में प्रत्यायन दिया जाता है ;

(ख) "प्रत्यायन परिषद्" से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) "प्रत्यायन संस्थाएं" से ऐसी सभी संस्थाएं अभिप्रेत हैं जिन्हें उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालय या उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद् द्वारा मान्यता दी गई है या पैनल में सम्मिलित किया गया है ;

(घ) "संबद्धता" में इसके व्याकरणिक रूपांतरों के साथ, किसी महाविद्यालय या उच्चतर शिक्षा संस्था के संबंध में,—

(i) ऐसे महाविद्यालय या उच्चतर शिक्षा संस्था को विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यायन प्रदान करना;

(ii) ऐसे महाविद्यालय या उच्चतर शिक्षा संस्था का किसी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध होना; या

(iii) ऐसे महाविद्यालय या उच्चतर शिक्षा संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश देना,

सम्मिलित हैं;

(ङ) "केन्द्रीय सरकार" से भारत सरकार का उच्चतर शिक्षा से संबंधित मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है;

(च) "प्रमाणपत्र" से ऐसा पुरस्कार अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय या उच्चतर शैक्षिक संस्था या किसी अन्य संस्था द्वारा प्रदान की गई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, जो यह प्रमाणित करता है कि प्राप्तकर्ता ने अध्ययन का कोई कार्यक्रम या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है;

(छ) "अध्यक्ष" से धारा 18 के अधीन नियुक्त आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) "महाविद्यालय" से कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे वह उस नाम से या किसी अन्य नाम से जानी जाती हो, जो किसी विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री जैसी कोई अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम का उपबंध करती है और जो ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों या परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार ऐसे अध्ययन कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों का उपबंध करने के लिए और ऐसे पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे छात्रों को ऐसी अर्हता प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करने में सक्षम होने के रूप में प्रत्यायन प्राप्त है और इसमें विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उसके विशेषाधिकार में स्वीकृत महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय और घटक महाविद्यालय और ऐसा महाविद्यालय सम्मिलित है जिसे धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "घटक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा उस रूप में प्रत्यायन प्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है;

(झ) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अभिप्रेत है;

(ञ) "परिषद्" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के तीन स्वतंत्र स्तंभ, अर्थात् भारत शिक्षा विनियमन परिषद् या विकसित भारत शिक्षा गुणवत्त परिषद् या विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद् अभिप्रेत है ;

(ट) "डिग्री" से किसी विश्वविद्यालय या उच्चतर शैक्षिक संस्था या किसी अन्य संस्था द्वारा प्रदान किया गया ऐसा पुरस्कार अभिप्रेत है, जो डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र न हो, तथा जो यह प्रमाणित करता हो कि प्राप्तकर्ता ने अध्ययन का कोई कार्यक्रम या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ;

(ठ) "डिप्लोमा" से ऐसा पुरस्कार अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय या उच्चतर शैक्षिक संस्था या किसी अन्य संस्था द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणपत्र या डिग्री नहीं है, जो यह प्रमाणित करता है कि प्राप्तकर्ता ने अध्ययन का कोई कार्यक्रम या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है;

(ड) "प्रतिष्ठित विशेषज्ञ" से योग्यता, निष्ठा और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिनके पास शिक्षण, कृषि, वाणिज्य, उद्योग, वानिकी, कौशल क्षेत्र सहित ऐसे क्षेत्रों का ज्ञान या अनुभव हो या जो इंजीनियरिंग या विधि या चिकित्सा या किसी अन्य वृत्ति के सदस्य हों या केन्द्रीय सरकार की राय में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हों या जिन्होंने उच्च शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त की हो;

(ढ) "निधि" से धारा 59 के अधीन गठित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान निधि अभिप्रेत है;

(ण) "उच्चतर शैक्षिक संस्था" से किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी संस्था, राष्ट्रीय महत्व की संस्था, प्रतिष्ठित संस्था या ऐसी संस्था की घटक इकाई सहित कोई शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है, जो उच्चतर शिक्षा प्रदान कर रही है या उनमें अनुसंधान संचालित करा रही है;

(त) "प्रतिष्ठित संस्था" से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार घोषित उच्चतर शिक्षा संस्था अभिप्रेत है;

(थ) "राष्ट्रीय महत्व की संस्था" से संसद के अधिनियम द्वारा इस प्रकार राष्ट्रीय महत्व की घोषित संस्था अभिप्रेत है;

(द) "सदस्य" से आयोग या परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें उसका अध्यक्ष या सभापति भी सम्मिलित है;

(ध) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(न) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(प) "अध्यक्ष" से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित संबंधित परिषदों के अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(फ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, आयोग या परिषदों

द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(ब) "विनियामक परिषद्" से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित विकसित भारत शिक्षा विनियामक परिषद् अभिप्रेत है;

(भ) "मानक परिषद्" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद् अभिप्रेत है;

(म) "विश्वविद्यालय" से किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के उपबंधों के अधीन समविश्वविद्यालय घोषित कोई संस्था, अभिप्रेत है। 1956 का 3

अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन ।

4. (1) इस अधिनियम का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में सत्यनिष्ठा, उत्कृष्टता और जनहित की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी, सक्षम और उत्तरदायी विनियमन प्रणाली प्रदान करना है, जो निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से सक्षम हो, अर्थात्:—

(क) विनियामक परिषद्, प्रत्यायन परिषद् और मानक परिषद् द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य ;

(ख) जनहितैषी, सुशासन, वित्तीय स्थिरता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी और न्यूनतम विनियमन और सभी शैक्षणिक, परिचालन और वित्तीय मामलों का पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण ; और

(ग) बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व प्रदान करने वाली एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से, केवल इनपुट पर ही नहीं बल्कि सिस्टम के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना ।

अध्याय 2

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियत की गई तारीख से, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के नाम से जाना जाएगा।

(2) आयोग पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए चल और अचल, दोनों प्रकार की संपत्ति को अर्जित करने, धारित करने और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

आयोग की संरचना ।

6. (1) आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जिनकी संख्या बारह से अधिक नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बारह सदस्यों में से, निम्नलिखित होंगे—

(क) अध्यक्ष, विनियामक परिषद्—पदेन सदस्य ;

(ख) अध्यक्ष, प्रत्यायन परिषद्—पदेन सदस्य ;

(ग) अध्यक्ष, मानक परिषद्—पदेन सदस्य ;

(घ) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार—पदेन सदस्य ;

(ङ) राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से प्रोफेसर के पद से अन्यून दो प्रतिष्ठित और प्रख्यात शिक्षाविद्—सदस्य ;

(च) पांच प्रतिष्ठित विशेषज्ञ—सदस्य ;

(छ) सदस्य-सचिव ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ङ) और (च) में निर्दिष्ट सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव का उत्तरदायित्व ।

7. (1) अध्यक्ष आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा, कार्यक्रम निश्चित करेगा और आयोग की बैठकों की कार्यवाही की स्वीकृति देगा ।

(2) सदस्य सचिव आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा और आयोग के सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में सामान्य अधीक्षण और समन्वय सुनिश्चित करेगा।

आयोग की बैठकें।

8. (1) आयोग ऐसे स्थानों और समयों पर अपनी बैठकें करेगा और अपनी बैठकों, जिसके अधीन ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है, में कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुसरण करेगा, जो केंद्रीय सरकार के परामर्श से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) आयोग की किसी बैठक में उनके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अन्य सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य, दूसरा या निर्णायक मत देगा ।

(3) आयोग अन्य वृत्तिक मानक निर्धारण निकायों के प्रमुखों और ऐसे अन्य निकायों को, जिन्हें आयोग उचित समझे, विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकता है:

परंतु जब आयोग किसी विशिष्ट वृत्तिक मानक निर्धारण निकाय के अनन्य क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले पर निर्णय ले रहा हो, तो आयोग उक्त निकाय के नामांकित व्यक्तियों को आमंत्रित करेगा।

आयोग के कृत्य ।

9. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन और पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के व्यापक और समग्र विकास के लिए उच्च स्तरीय सामरिक दिशा प्रदान करना;

(ख) उच्च शैक्षिक संस्थाओं को वृहत्त बहु-विद्याशाखा शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए रूपरेखा विकसित करना;

(ग) भारत को शिक्षा गंतव्य के रूप में संवर्धित करने के लिए रूपरेखा विकसित करना;

(घ) बहु-विद्याशाखा उच्चतर शिक्षा प्रणाली में घरेलू ज्ञान, भाषाओं और कलाओं के एकीकरण और संवर्धन के लिए एक रूपरेखा विकसित करना;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन स्थापित परिषदों के सहक्रियात्मक कार्यकरण के लिए सामरिक दिशा प्रदान करना तथा उनके बीच समन्वय सुनिश्चित करना;

(च) समन्वय के प्रयोजनार्थ परिषदों को निदेश देना;

(छ) परिषद् के समुचित संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(ज) शिक्षा की क्वालिटी में सुधार के लिए ऐसी स्कीमों को विनिर्मित करना और केन्द्रीय सरकार को सुझाव देना;

(झ) इस अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक या एक से अधिक निकायों के गठन हेतु केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(ञ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को किसी ऐसे प्रश्न पर सलाह देना जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किया जाए;

(ट) देश में उच्चतर शिक्षा के समग्र विकास के लिए आयोग द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले किसी प्रश्न पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना; और

(ठ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किये जाएं ।

अध्याय 3

विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद्

विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद् की स्थापना ।

10. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियत की गई तारीख से एक विनियामक परिषद् की स्थापना की जाएगी, जिसे विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद् के नाम से जाना जाएगा, जो भारत में उच्चतर शिक्षा के सामान्य विनियामक के रूप में कार्य करेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनियामक परिषद्, पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगी या उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) विनियामक परिषद् का अध्यक्ष एक अध्यक्ष होगा तथा इसमें अन्य सदस्य होंगे, जिनकी संख्या चौदह से अधिक नहीं होगी।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट चौदह सदस्यों में से निम्नलिखित होंगे—

(क) आचार्य की पंक्ति से अन्यून दो प्रतिष्ठित और प्रख्यात शिक्षाविद्—सदस्य;

(ख) किसी राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्था से प्रोफेसर के पद से अन्यून एक प्रतिष्ठित और प्रख्यात शिक्षाविद्—सदस्य;

(ग) वास्तुविद परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति—सदस्य;

(घ) राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं से आचार्य की पंक्ति से अन्यून तीन प्रतिष्ठित और प्रख्यात शिक्षाविद्—सदस्य;

(ङ) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य, चक्रानुक्रम के आधार पर—सदस्य;

(च) एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ—सदस्य;

(छ) शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग का एक नामनिर्देशिती, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा—पदेन सदस्य;

(ज) प्रत्यायन परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य—सदस्य;

(झ) मानक परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(ञ) सदस्य—सचिव :

परंतु इस उपधारा के खंड (क) और खंड (ञ) में निर्दिष्ट सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे और खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

(5) विनियामक परिषद् ऐसे विशेषज्ञों को, जिन्हें वह "विशेष आमंत्रिती" के रूप में अवधारित करे, अपनी बैठकों के लिए केन्द्रीय सरकार के परामर्श से ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आमंत्रित कर सकेगी:

परंतु जब विनियामक परिषद् किसी विनिर्दिष्ट वृत्तिक निकाय के अनन्य क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले पर विनिश्चय कर रही है, तो वह उक्त निकाय के नामांकित व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगी।

विनियामक परिषद् के कार्य ।

11. (1) विनियामक परिषद्, उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में मानकों के समन्वयन और अनुरक्षण तथा विनियामक उपबंधों के अनुपालन के लिए ऐसे सभी कदम उठाएगी, जिन्हें वह उपयुक्त समझे ।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कदम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) यह अपेक्षा करना कि सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण प्रत्यायन और स्वायत्तता प्राप्त करें जिससे वर्तमान उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को स्वायत्त, जीवंत और सशक्त बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों में परिवर्तित किया जा सके, जिनमें उच्च क्वालिटी शिक्षा, अनुसंधान और सेवा सम्मिलित हों, जिसके अंतर्गत एकीकृत व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम भी हैं ;

(ख) उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा सभी वित्त, संपरीक्षा, प्रक्रियाओं, बुनियादी ढांचे, संकाय, पाठ्यक्रम, शैक्षिक परिणामों और प्रत्यायन संबंधी जानकारी का पूर्ण विनियानक परिषद् द्वारा अनुरक्षित पब्लिक वेबसाइट और संस्थानों की वेबसाइटों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन लोक स्व-प्रकटीकरण की अपेक्षा करना ;

(ग) यह अपेक्षा करना कि उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के सभी शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य विधि पूर्वक संचालित किए जाएं तथा उनकी विनियानक परिषद् द्वारा अनुरक्षित पब्लिक वेबसाइट और संस्थानों की वेबसाइटों पर रिपोर्टिंग

ईमानदारी और पारदर्शिता से की जाए;

(घ) उच्चतर शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए एक सुसंगत और समावेशी नीति विकसित करना;

(ङ) उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रमुख वित्तीय मामलों के प्रकटीकरण के लिए एक व्यवस्थित योजना विकस और उसका क्रियान्वयन करना तथा यह अपेक्षा करना कि उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के संपरीक्षा और वित्तीय प्रकटीकरण मानकों का पालन किया जाए;

(च) लोक स्व-प्रकटीकरण में बेईमानी या किसी अन्य शैक्षिक, प्रशासनिक या वित्तीय अनौचित्य के मामलें में साठ दिन के भीतर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करना;

(छ) यह अपेक्षा करना कि छात्रों की ऋजु, पारदर्शी और सख्त शिकायत निवारण तंत्र तक मुक्त पहुंच हो;

(ज) पणधारियों से उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त परिवादों या शिकायतों का निपटान करना;

(झ) यह अपेक्षित है कि मानक परिषद् द्वारा यथा अवधारित उच्चतर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रचालन के लिए न्यूनतम मानकों का अनुपालन किया जाए;

(ञ) उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन के लिए माडल और रूपरेखा का विकास करना;

(ट) उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को क्रमबद्ध और समयबद्ध रीति से स्वायत्तता प्रदान करना;

(ठ) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से चुनिंदा विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन के लिए मानक विनिर्दिष्ट करना :

परंतु उन विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों के लिए, जो भारत में पहले से ही स्थापित हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अधिसूचित विद्यमान विनियमों द्वारा शासित हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में निहित शक्तियां, परिषद् के पास निहित हो जाएंगी;

(ड) उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अन्य देशों में परिसर स्थापित करने में सुविधा प्रदान करना;

(ढ) यह अपेक्षित करना कि केवल उपयुक्त प्रत्यायन वाली उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं ही मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा प्रदान करें;

(ण) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 के खंड (गगग) के अधीन स्थापित अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों के कार्यकरण और अनुरक्षण को जारी रखने के संबंध में, जो अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान थे, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विनिश्चय करना; 1956 का 3

(त) किसी उच्चतर शैक्षिक संस्था को उच्चतर शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना और ऐसी सिफारिश के कार्यान्वयन के प्रयोजन

के लिए की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में उच्चतर शिक्षा संस्था को सलाह देना;

(थ) आयोग को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराना, जिसकी आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के संबंध में अपेक्षा करे ; और

(द) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किये जाए ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट खंड (ग), खंड (ङ), खंड (ञ), खंड (ण), खंड (त), खंड (थ) और खंड (द) से भिन्न खंडों के अधीन विनियामक परिषद् द्वारा किए जाने वाले कार्य ऐसे होंगे, जो विनियामक परिषद् द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) विनियामक परिषद्, विश्वविद्यालय से भिन्न किसी भी प्रत्यायित उच्चतर शिक्षा संस्था को, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी रीति में, जो विनियामक परिषद् विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें, डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी :

परंतु विनियामक परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी उच्चतर शैक्षिक संस्था को प्रदत्त ऐसे प्राधिकार को वापस ले सकेगी, यदि ऐसी संस्था इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का अतिक्रमण करती है:

परंतु यह और कि ऐसा प्राधिकार सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा।

(5) विनियामक परिषद्, महाविद्यालयों को अवधि से परे ऐसे अपेक्षित प्रत्यायन न्यूनतम मानदंडों को प्राप्त करने तथा अंततः स्वशासी डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय बनने में सुकर बनाने हेतु उपाय करेगी ।

(6) विनियामक परिषद् ऐसे स्थानों और समयों पर बैठक करेगी तथा (ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित) अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुसरण करेगी, जो केंद्रीय सरकार के परामर्श से विनियामक परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

संघटक महाविद्यालयों आदि की स्थापना।

12. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई विद्यमान या नया प्रत्यायित विश्वविद्यालय केवल विनियामक परिषद् के पूर्व अनुमोदन से संघटक महाविद्यालयों, ऑफ कैंपस और बहुकैंपस की स्थापना करेगा ।

(2) संघटक महाविद्यालयों, ऑफ कैंपस और बहुकैंपस की स्थापना की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

भाग 4

विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद्

प्रत्यायन परिषद् की स्थापना ।

13. (1) ऐसी तारीख से जो केन्दीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद् के नाम से ज्ञात एक प्रत्यायन परिषद् की स्थापना की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्यायन परिषद् पूर्वोक्त नाम से ज्ञात एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों संपत्तियों के अर्जन, धारण करने और

निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगी या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

(3) प्रत्यायन परिषद् अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जो संख्या में चौदह से अधिक नहीं होंगे ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट चौदह सदस्य निम्नलिखित होंगे—

(क) आचार्य की रैंक से अन्यून दो प्रख्यात और ख्याति प्राप्ति शिक्षाविद्—सदस्य;

(ख) राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं से आचार्य की रैंक से अन्यून दो प्रख्यात और ख्याति प्राप्ति शिक्षाविद्—सदस्य;

(ग) वास्तुविद् परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति—सदस्य

(घ) राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं से आचार्य की रैंक से अन्यून तीन प्रख्यात और ख्याति प्राप्ति शिक्षाविद्—सदस्य;

(ङ) शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग का नामिति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की रैंक से अन्यून का होगा—पदेन सदस्य

(च) दो प्रख्यात विशेषज्ञ—सदस्य ;

(छ) विनियामक परिषद् से इसके सदस्यों में से नामित किया जाने वाला एक सदस्य—पदेन सदस्य

(ज) मानक परिषद् से इसके सदस्यों में से नामित किया जाने वाला एक सदस्य-पदेन सदस्य;

(झ) सदस्य सचिव:

परंतु खंड (क) और खंड (झ) में निर्दिष्ट सदस्य पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कृत्य करेंगे और खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में कृत्य करेंगे ।

(5) प्रत्यायन परिषद् केन्द्रीय सरकार के परामर्श से ऐसी रीति में जो इसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी बैठकों के लिए विशेष आमंत्रिती के रूप में ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी जो इसके द्वारा अवधारित किए जाएं:

परंतु जब प्रत्यायन परिषद् किसी विनिदिष्ट वृत्तिक निकाय के अनन्य क्षेत्राधिकार से संबंधित विषय पर विनिश्चय कर रही हो तो वह उक्त निकाय के नामिती को आमंत्रित कर सकेगी ।

प्रत्यायन परिषद् के कृत्य ।

14. (1) प्रत्यायन परिषद् एक प्रत्यायन निकाय के रूप में कृत्य करेगी और प्रत्यायन के स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करने के लिए ऐसे कदम उठाएगी।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कदम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) सुसंगत हितधारकों के परामर्श से परिणाम आधारित सांस्थानिक प्रत्यायन ढांचा विकसित करना, जो , यथास्थिति ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षण या शिक्षण

के किसी अन्य रूप में मुक्त और दूरस्थ शिक्षण के साथ या उसके बिना प्रत्यायन करने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए प्रयोग किया जाएगा;

(ख) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट लोक वेबसाइट के माध्यम से प्रचालित प्रौद्योगिकी प्रेरित तंत्र का प्रयोग करके प्रत्यायन कार्यान्वित करना ;

(ग) उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के प्रत्ययन के लिए अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त क्षमता के साथ उच्च गुणवत्ता और उच्च निष्ठा वाली प्रत्यायन प्रणाली को विकसित करने के लिए, यथास्थिति, प्रत्यायन संस्थाओं को पैनलित तथा पैनल से बाहर करना ;

(घ) प्रत्यायन संस्थाओं के निष्पादन को मानीटर और पुनर्विलोकन करना ;

(ङ) जनता को उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के प्रत्यायन से संबंधित प्रत्यायन संबंधी सभी जानकारी का संकलन और प्रसार करना, जिसके अंतर्गत हितधारक भी हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूर्ण पारदर्शिता के माध्यम से सत्यनिष्ठा के उच्च स्तर को बनाए रखा जा सके ;

(च) उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के प्रत्यायन से संबंधित विषयों के उल्लंघन के लिए धारा 33 में निर्दिष्ट शास्तियों के अधिरोपण हेतु विनियामक परिषद् को सिफारिश करना ;

(छ) सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं का प्रत्यायन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यायन की अपेक्षाओं का निर्धारण करना तथा एक परिप्रेक्ष्य योजना विकसित करना ;

(ज) आयोग को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना, जो आयोग इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के निर्वहन के संबंध में अपेक्षा करे ; और

(झ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो विहित किए जाएं ।

(3) खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) से भिन्न उपधारा (2) में निर्दिष्ट खंडों के अधीन प्रत्यायन परिषद् के कृत्य ऐसे होंगे, जो प्रत्यायन परिषद् द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) सांस्थानिक प्रत्यायन ढांचा प्रत्यायन संस्थाओं को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मार्गदर्शन देने के लिए सभी अकादमिक, प्रचालित और वित्तीय विषयों के केवल शैक्षणिक परिणामों, सुशासन, वित्तीय सत्यनिष्ठा और स्थायित्व तथा ऐसी रीति में जो प्रत्यायन परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रत्यायन संस्थाओं को मार्गदर्शन देने के लिए सभी अकादमिक, प्रचालनीय और वित्तीय विषयों का पारदर्शी लोक प्रकटन और अंतर्वलित करने वाले प्रत्यायन के लिए प्राचल अभिकथित करेगा ।

(5) उच्चतर शैक्षणिक संस्थाएं अपनी सांस्थानिक विकास योजना में शैक्षणिक इनपुट तथा विनिर्दिष्ट आशयित शैक्षणिक परिणामों को ठीक-ठीक कथन करेगी, जिसे जनता के समक्ष प्रकट किया जाना चाहिए तथा ऐसी योजना को शैक्षणिक परिणामों की गुणवता तथा

शासन क्रियाविधि और उनके पालन पर जोर देना चाहिए ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सांस्थानिक विकास योजना" पद से राष्ट्रीय मानकों और विनियमों के साथ अनुपालन बनाए रखते हुए शैक्षणिक, अनुसंधान और सामाजिक उद्देश्यों के साथ संस्थाओं के संरेखन को सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित रणनीतिक दस्तावेज अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संस्था के उद्देश्य, पहल, संस्था के संसाधन आबंटन तथा सांस्थानिक विकास के लिए लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि में समय-सीमा भी है ।

(6) प्रत्यायन परिषद् ऐसे स्थानों और समयों पर बैठक करेगी तथा (ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित) अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुसरण करेगी, जो केंद्रीय सरकार के परामर्श से विनियामक परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अध्याय 5

विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद्

मानक परिषद् की स्थापना ।

15. (1) ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद् के नाम से ज्ञात एक मानक परिषद् की स्थापना की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मानक परिषद्, पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगी तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

(3) मानक परिषद् एक अध्यक्ष और संख्या में चौदह से अनधिक अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट चौदह सदस्य निम्नलिखित होंगे—

(क) आचार्य की रैंक से अन्यून दो प्रख्यात और ख्याति प्राप्ति शिक्षाविद्—सदस्य;

(ख) राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं से आचार्य की रैंक से अन्यून एक प्रख्यात और ख्याति प्राप्ति शिक्षाविद्—सदस्य;

(ग) चक्रानुक्रम आधार पर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का एक नामिति-सदस्य

(घ) वास्तुविद् परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति—सदस्य

(ङ) राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं से आचार्य की रैंक से अन्यून तीन प्रख्यात और ख्याति प्राप्ति शिक्षाविद्—सदस्य;

(च) दो प्रख्यात विशेषज्ञ—सदस्य ;

(छ) शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग का नामिति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की रैंक से अन्यून का होगा- पदेन सदस्य

(ज) विनियामक परिषद् से इसके सदस्यों में से नामित किया जाने वाला एक सदस्य—पदेन सदस्य;

(झ) प्रत्यायन परिषद् से इसके सदस्यों में से नामित किया जाने वाला एक सदस्य—पदेन सदस्य;

(ञ) सदस्य सचिव:

परंतु खंड (क) और खंड (ञ) में निर्दिष्ट सदस्य पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कृत्य करेंगे और खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में कृत्य करेंगे ।

(5) मानक परिषद्, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, ऐसी रीति में जो इसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी बैठकों के लिए विशेष आमंत्रिती के रूप में ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी जो इसके द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु जब मानक परिषद् किसी विनिर्दिष्ट वृत्तिक निकाय के अनन्य क्षेत्राधिकार से संबंधित विषय पर विनिश्चय कर रही हो तो वह उक्त निकाय के नामिती को आमंत्रित कर सकेगी ।

मानक परिषद् के कृत्य ।

16. (1) मानक परिषद् उच्चतर शिक्षा के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में अकादमिक मानकों के अवधारण के लिए तथा इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए ऐसे सभी उपाय करेगी, जो वह ठीक समझे ।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपाय निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रत्याशित शिक्षण परिणामों ('स्नातक गुण' के रूप में भी निर्दिष्ट) विरचित करना, जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को मार्गदर्शन दे सकें ;

(ख) व्यावसायिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा में एकीकरण करना आसान बनाने के लिए शिक्षण परिणामों हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का उपबंध करना ;

(ग) "डॉक्टर ऑफ फिलोसफी", "डिप्लोमा" और "प्रमाणपत्र" से भिन्न, "प्रमाणपत्र" और "डिप्लोमा" के नामकरण तथा शैक्षणिक अर्हताओं के स्तरों का उपबंध करना, जो केंद्रीय सरकार के परामर्श से किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्था द्वारा प्रदान किए जा सकें ;

(घ) छात्रों के संचलन को सुकर बनाने के लिए प्रत्यय अंतरण, समतुल्यता और अन्य संबंधित विषयों के लिए मानदंडों का उपबंध करना ;

(ङ) संस्थाओं और कार्यक्रमों तथा संपूर्ण खुले और दूरस्थ शिक्षण, ऑनलाइन और पारंपरिक 'कक्षा में' पद्धतियों के लिए उच्चतर शिक्षा अर्हताओं का एक सुझाया गया वृहद ढांचा विकसित करना, जिसके भीतर संस्थाओं और संकाय को पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और निर्धारण के विषयों पर नवाचार के लिए स्वायत्तता होगी ;

(च) अकादमिक शिक्षण की गुणवत्ता का संवर्धन तथा उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में न्यूनतम अकादमिक मानक अवधारित करना ;

(छ) उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रचालन के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम मानक अधिकथित करना;

(ज) वर्धित छात्र अनुभवों तथा शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, निर्धारण और छात्र सहयोग के नवाचारी विकास के लिए बाध्यता विहीन ढांचा स्थापित करना, जिसके अंतर्गत भारतीय ज्ञान, कला और भाषाओं के संवर्धन के लिए शिक्षा के भारतीयकरण के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय मानकों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का संवर्धन भी है ;

(झ) उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में अकादमिक मानकों के अवधारण के लिए परिप्रेक्ष्य योजना विकसित करना ;

(ञ) ऐसी अर्हताएं अभिकथित करना, जो इसके द्वारा अवधारित की जाएं, जो किसी व्यक्ति के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्था के कर्मचारिवृंद के रूप में नियुक्त होने के लिए अपेक्षित होनी चाहिए :

परंतु इस खंड की कोई बात उनके अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान वाले प्रख्यात विशेषज्ञों की नियुक्ति को प्रतिषिद्ध नहीं करेगी;

(ट) आयोग को ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना, जो आयोग इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के निर्वहन के संबंध में अपेक्षा करे ; और

(ठ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो विहित किए जाएं :

परन्तु मानक परिषद् पाठ्यचर्या ढंचा तैयार करते समय, अकादमिक मानक अधिकथित करते समय और उनके अधिकार क्षेत्र या विषय में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के बीच समन्वय करते समय, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे वृत्तिक निकायों के इनपुट पर विचार करेगी ।

(3) खंड (ख), खंड (ग), खंड (ज), खंड (ञ) खंड (ट) और खंड (ठ) से भिन्न उपधारा (2) में निर्दिष्ट खंडों के अधीन मानक परिषद् के कृत्य ऐसे होंगे, जो मानक परिषद् द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) मानक परिषद् ऐसे स्थानों और समयों पर बैठक करेगी तथा (ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित) अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुसरण करेगी, जो केंद्रीय सरकार के परामर्श से विनियामक परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अध्याय 6

साधारण उपबंध

डिग्री प्रदान करने का अधिकार ।

17. (1) डिग्री प्रदान करने या अनुदत्त करने का अधिकार या डिग्री प्रदान करने या अनुदत्त करने के लिए संसद् के अधिनियम द्वारा विशेष रूप से सशक्त विश्वविद्यालय या संस्था या इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा ही प्रयोग किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में उपबंधित के सिवाय कोई व्यक्ति या प्राधिकारी डिग्री प्रदान या अनुदत्त नहीं करेगा या स्वयं को डिग्री प्रदान या अनुदत्त करने के लिए धारित नहीं करेगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "डिग्री" से ऐसी कोई डिग्री अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मानक परिषद् द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए ।

आयोग के अध्यक्ष की अर्हता और नियुक्ति ।

18. अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार के सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मानद हैसियत में नियुक्त होने के लिए ख्यातिप्राप्त और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा ।

परिषदों के अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता ।

19. (1) संबंधित परिषदों के अध्यक्ष नेतृत्व गुणों, संस्थान के निर्माण के लिए क्षमता तथा उच्चतर शिक्षण की संस्थाओं के लिए उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त और अनुभवी व्यक्ति होंगे, जिनके पास किसी प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षा संस्था या विश्वविद्यालय में आचार्य या समतुल्य का कम से कम दस वर्ष का अनुभव होगा ।

(2) परिषदों के पूर्णकालिक सदस्य किसी प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षा संस्था या विश्वविद्यालय में आचार्य या समतुल्य का कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले सुविख्यात और प्रख्यात प्रतिष्ठा वाले शिक्षाविद् होंगे या अनुसंधान संस्थान में प्रतिष्ठित अध्येता या सिद्ध प्रशासनिक क्षमता के सत्यनिष्ठा वाले असाधारण योग्यता के व्यक्ति होंगे ।

परिषदों के अध्यक्षों और सदस्यों, आयोग तथा परिषदों के सदस्य-सचिव की नियुक्ति ।

20. (1) परिषदों के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारा 21 में निर्दिष्ट खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी ।

(2) आयोग और परिषदों के पदेन सदस्यों तथा सदस्य-सचिव से भिन्न आयोग और परिषदों के अन्य सदस्य केंद्रीय सरकार की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसी रीति में नियुक्त किए जाएंगे, जो विहित की जाए ।

(3) आयोग के प्रभावी प्रशासन के लिए केंद्रीय सरकार सदस्य-सचिव की नियुक्ति करेगी, जो भारत सरकार के सचिव की रैंक से अन्यून का होगा या जिसने ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भारत सरकार में सचिव के रूप में सेवा की हो;

(4) परिषदों के प्रभावी प्रशासन के लिए केंद्रीय सरकार सदस्य-सचिव की नियुक्ति करेगी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की रैंक से अन्यून का होगा या जिसने ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में सेवा की हो ।

खोजबीन-सह-चयन समिति ।

21. (1) खोजबीन-सह-चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किए गए दो ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ, जिनमें से एक सदस्य खोजबीन-सह-चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित होगा; और

(ख) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन सदस्य।

(2) खोजबीन-सह-चयन समिति की अवधि तथा नामों के पैनल के चयन की रीति ऐसी होगी, जो विहित की जाए ।

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सभापति, परिषदों के अध्यक्षों, परिषदों के सदस्यों और नामितियों की पदावधि ।

22. (1) आयोग के अध्यक्ष की पदावधि आरंभ के तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी, जो उसकी नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष तक विस्तारणीय होगी तथा एक और अवधि के लिए पुन: नियुक्ति का पात्र होगा ।

(2) प्रत्येक परिषद् के अध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष की होगी, जो उनकी नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष तक या उनकी आयु सत्तर वर्ष की होने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, विस्तारित की जा सकेगी तथा एक और अवधि के लिए पुन: नियुक्ति का पात्र होगा ।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न, आयोग और परिषदों के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनकी आयु सत्तर वर्ष होने तक, जो भी पूर्वतर हो, होगी तथा एक

और अवधि के लिए पुन: नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु यथास्थिति, आयोग या परिषदों के पदेन सदस्यों की पदावधि जारी रहेगी जब तक वे उस पद को धारण करते हैं, जिसके कारण वे ऐसे सदस्य हैं ।

(4) विनियामक परिषद् तथा मानक परिषद् के संबंध में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामिति ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम के आधार पर सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाएंगे ।

आयोग या परिषदों में आकस्मिक रिक्तियों को भरना ।

23. (1) निम्नलिखित पदों पर रिक्ति होने की दशा में,—

(क) आयोग के अध्यक्ष ;

(ख) किसी परिषद् का सभापति ;

(ग) परिषदों का कोई पूर्णकालिक सदस्य;

(घ) यथास्थिति, आयोग या परिषद् का सदस्य,

चाहे मृत्यु या पदत्याग या बीमारी के कारण अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असक्षमता या अन्य अक्षमता के कारण हों, केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रिक्ति होने की तारीख से नई नियुक्ति द्वारा पद भरा जाएगा तथा इस प्रकार नियुक्त आयोग या परिषदों के अध्यक्ष, सभापति या सदस्य, उस व्यक्ति की पदावधि की शेष अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जिसके स्थान पर उसकी इस प्रकार नियुक्ति की जाती है, या नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक जो भी पूर्ववर्ती हो:

परंतु, यथास्थिति परिषदों के सभापति या अध्यक्षों के पद रिक्त रहने की अवधि के दौरान, केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति परिषदों के सभापति, अध्यक्षों के पद धारण के लिए आयोग या परिषदों के किसी अन्य सदस्य को नामित कर सकेगी ।

आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यो या परिषदों के सभापतियों या परिषदों के सदस्यों को हटाया जाना ।

24. (1) भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय सरकार की सिफारिश पर आदेश द्वारा आयोग के अध्यक्ष या संबंधित परिषदों के सभापति किसी पूर्णकालिक सदस्य को हटा सकेंगे जो—

(क) दिवालिया घोषित हो गया है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध हो गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है; या

(ग) सदस्य के रूप में कृत्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है ; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(ङ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर चुका है जिनसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(च) अपने पद का ऐसे दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है; या

(छ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन कर चुका है ।

(2) किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) के अधीन नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

(3) आयोग का अध्यक्ष, परिषदों के सभापति या पूर्णकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेंगे :

परंतु ऐसे व्यक्तियों को तीन मास से पूर्व कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकेगा या तीन मास से आगे कर्तव्य करना अनुज्ञात किया जा सके, जब तक कि उनके उत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं हो जाती, यदि केंद्रीय सरकार ऐसा विनिश्चय करे ।

(4) यथास्थिति, आयोग या परिषदों के अन्य सदस्य केंद्रीय सरकार की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, हटाए जाएंगे ।

आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य या परिषदों के सभापतियों या सदस्यों द्वारा घोषणा ।

25. (1) आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य या संबंधित परिषदों के सभापति और अन्य सदस्य, नियुक्ति के पश्चात् तुरंत तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष किसी अनुसंधान संस्था या उच्चतर शिक्षा संस्था में अथवा किसी वृत्तिक या वित्तीय क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और धनीय या अन्यथा अपने हित की मात्रा की घोषणा करेंगे, जैसा विहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार की गई घोषणा, यथास्थिति, आयोग या परिषदों द्वारा पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी ।

पुन: नियोजन का निर्बंधन ।

26. आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य पसदस्य या संबंधित परिषदों के सभापति या पूर्णकालिक सदस्य, उस तारीख से, जिसको वे पद धारण करना बंद कर देते हैं, दो वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन, यथास्थिति, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, परिषदों के सभापति या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कर्तव्य के उनके क्षेत्र में या उसके संबंध में कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे :

परंतु इस धारा की कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी वैधानिक प्राधिकारी या किसी केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय या संस्था के अधीन किसी नियोजन को लागू नहीं होगी :

परंतु यह और कि यह धारा पदावधि पूर्ण करने पर मूल काडर में समप्रत्यावर्तन के मामलों में लागू नहीं होगी ।

संबंधित परिषदों के सभापतियों और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों तथा आयोग और परिषदों के सदस्य-सचिव के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ।

27. (1) पदेन सदस्यों से भिन्न संबंधित परिषदों के सभापतियों और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों तथा आयोग और परिषदों के सदस्य-सचिव को संदेय वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं :

परंतु आयोग और संबंधित परिषदों के अंशकालिक सदस्य ऐसे भत्तों के हकदार होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं ।

(2) संबंधित परिषदों के सभापतियों और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों तथा आयोग और परिषदों के सदस्य-सचिव को संदेय वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

आयोग या परिषदों की कार्यवाहियों का रिक्ति आदि के कारण अविधिमान्य न होना ।

28. आयोग या परिषदों का कोई कृत्य या कार्यवाही मात्र निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी—

(क) यथास्थिति, आयोग या परिषदों के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि ; या

(ख) आयोग के अध्यक्ष या परिषद् के सभापति के रूप में कृत्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि ; या

(ग) आयोग या परिषदों की प्रक्रिया में कोई अनियमितता, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

पद की शपथ ।

29. आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और संबंधित परिषदों के सभापति और सदस्य अपना पद ग्रहण करने के पूर्व ऐसे प्ररूप, रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जो विहित किया जाए, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे ।

आयोग और परिषदों के मुख्य कार्यालय ।

30. आयोग और परिषदों के मुख्य कार्यालय, ऐसे स्थानों पर होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ।

आयोग और परिषदों के सचिवालय ।

31. ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जिनके अंतर्गत संगठन की संरचना, धारणाधिकार बनाए रखने, नियुक्ति की अवधि और भर्ती नियम भी हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आयोग और प्रत्येक परिषद् इस अधिनियम के अधीन उत्तरदायित्व के निर्वहन तथा उनके कृत्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए पृथक् सचिवालय रखेंगे ।

सदस्यों आदि का लोक सेवक होना ।

32. परिषदों के अध्यक्ष और सभापति तथा आयोग या परिषदों के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 के खंड (28) के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

अध्याय 7

उल्लंघन, शास्तियां और अधिनिर्णयन

शास्तियां ।

33. (1) विनियामक परिषद्, निम्नलिखित रीति में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं पर शास्तियां अधिरोपित कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) यदि कोई उच्चतर शिक्षा संस्था इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद् ऐसी संस्था को लिखित में एक नोटिस जारी कर सकेगी तथा संस्था द्वारा की गई त्रुटियों में सुधार के लिए स्पष्टीकरण मांग सकेगी और यदि ऐसी त्रुटि नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सुधारी नहीं जाती है तो शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगी ;

(ख) यदि उच्चतर शिक्षा संस्था इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का पुन: उल्लंघन करती है तो विनियामक परिषद् शास्ति अधिरोपित कर सकेगी, जो तीस लाख रुपए से कम नहीं होगी अथवा, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार या उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के भीतर समुचित निकाय को ऐसे उल्लंघन के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों को नियोजन से हटाने के लिए सिफारिश कर सकेगी तथा प्रदत्त स्वायत्तता, चाहे

अकादमिक हो या प्रशासनिक, के स्तर का पुनर्विलोकन कर सकेगी और उसे उल्लंघन के सुधार के लंबित रहते हुए पुनरीक्षित कर सकेगी अथवा उच्चतर शिक्षा संस्था को दिए जाने के लिए प्रस्तावित अनुदानों को रोक सकेगी या समुचित सरकार को रोकने की सिफारिश कर सकेगी ;

(ग) और, यदि उच्चतर शिक्षा संस्था, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का पुन: उल्लंघन करती है और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है या स्थायी है तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद् शास्ति अधिरोपित कर सकेगी, जो पचहत्तर लाख रुपए से कम नहीं होगी या ऐसी रकम होगी, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए अथवा, यथास्थिति, प्रमाणपत्रों, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान करने के अधिकार को निलंबित करने या अन्यथा उपांतरित करने के लिए केंद्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगी या सहबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को उच्चतर शिक्षा संस्था की सहबद्धता को वापस लेने का परामर्श दे सकेगी अथवा यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार को उच्चतर शिक्षा संस्था को बंद करने या समापन करने की सिफारिश करके सिफारिश को पब्लिक डोमेन में रखने की अनुशंसा करेगी :

परंतु उल्लंघन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए, विनियामक परिषद् ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेशित करे, किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्था का निरीक्षण करवाएगी:

परंतु यह और कि इस उपधारा के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन शास्तियां ऐसी उच्चतर शैक्षणिक संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अधिरोपित की जाएंगी ।

(2) यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय या उच्चतर शिक्षा संस्था स्थापित करता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसी संस्था को तुरंत बंद करने के साथ शास्ति का दायी होगा, जो दो करोड़ रुपए से कम नहीं होगी या ऐसी रकम होगी, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए ।

शास्तियों का अधिनिर्णयन ।

34. इस अधिनियम के अधीन शास्तियों का अधिनियर्णन करने के प्रयोजन के लिए, विनियामक परिषद् ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक अधिनिर्णायक क्रिया विधि का गठन करेगी ।

शास्तियों से प्राप्त राशियों का जमा किया जाना ।

35. इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के माध्यम से प्राप्त सभी राशियां निधि में जमा की जाएगी ।

शास्ति से छात्रों के हितों का प्रभावित न होना ।

36. विनियामक परिषद् यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन किसी शास्ति का अधिरोपण छात्रों के हितों को प्रभावित न करे या उसमें नामांकित छात्रों पर कोई धनीय दुष्परिणाम कारित न हो ।

आयोग या परिषद् के आदेश या विनिश्चयों के विरूद्ध अपील ।

37. आयोग या परिषदों में किसी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में अपील कर सकेगा जो विहित की जाए और ऐसा विनिश्चय पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

अध्याय 8

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

38. (1) केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् ऐसी धनराशियों का अनुदान दे सकेगी जो सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु ठीक समझे ।

(2) आयोग परिषदों के लिए सम्यक विनियोग कर सकेगा ।

आयोग को निधि ।

39. (1) आयोग की अपनी स्वयं की निधि होगी जिसे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान निधि कहा गया है, और सभी ऐसी राशियां जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे प्रदान की जाएं और आयोग तथा परिषदों की सभी प्राप्तियां(जिनमें ऐसी कोई भी राशि हैं जिसे कोई राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति जमा करे) निधि में अग्रणीत की जाएगी और आयोग तथा परिषदों द्वारा सभी संदाय इनसे किए जाएंगे ।

(2) निधि से संबंधित सभी धनराशियां ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति में विनिधानित की जाएंगी जो, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाएं ।

(3) आयोग ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन ठीक समझें और ऐसी राशियां निधि में से संदेय व्यय के रूप में समझी जाएंगी और ऐसी निधियां इस अधिनियम के उपबंधों का तथा आयोग एवं परिषदों केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग तथा परिषदों को समनुदेशित किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए उपयोजित की जाएंगी ।

बजट ।

40. आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, परिषदों के साथ समन्वय करके ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए एक बजट तैयार करेगा ।

लेखा और संपरीक्षा ।

41. (1) आयोग, परिषदों के साथ समन्वय करके और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करे उचित लेखा तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में जो विहित की जाए तैयार करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयोग और परिषदों के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ऐसे अंतरालों पर, जो वह विनिर्दिष्ट करे, करेगा और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और आयोग एवं परिषदों के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति, के, उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से बहियां, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और कागज पेश किए जाने की मांग करने आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित आयोग एवं परिषदों के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के

साथ हर वर्ष केन्द्रीय सरकार को आयोग द्वारा अग्रेषित किए जाएंगे और वह उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

केन्द्रीय सरकार को विवरणियों तथा रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना ।

42. (1) आयोग, परिषदों के साथ समन्वय करके केन्द्रीय सरकार आयोग या परिषदों की अधिकारिता के अधीन किसी विषय के संबंध में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाली ऐसी रिपोर्टों तथा विवरणों जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे,को ऐसे प्ररूप-रीति और ऐसी अवधि जो केन्द्रीय सरकार विहित करे या जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(2) आयोग, परिषदों के साथ समन्वय करके, प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, पूर्व वर्ष के दौरान आयोग और परिषदों के कार्यकलापों का सार देते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके प्राप्त किए जाने के शीघ्र पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(4) आयोग, में उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपनी संबंधित वार्षिक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख जाने के शीघ्र पश्चात् लोक अधिकारिता में रखेगा ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग या परिषदों के साथ व्यक्तियों का अस्थायी संगम ।

43. (1) इस अधिनियम के अधीन गठित और स्थापित आयोग और प्रत्येक परिषद्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ऐसे किसी भी व्यक्ति से अपने आप को सहयुक्त कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह जिसकी वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के किसी उपबंध के कार्यान्वित करने में वांछा करे ।

(2) किसी प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आयोग या परिषद् द्वारा इसके साथ सहयुक्त कोई व्यक्ति का उस प्रयोजन से सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु, यथास्थिति, आयोग या परिषदों की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा |

आयोग और प्रत्येक परिषद् के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ।

44. आयोग तथा परिषदों द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों, विनिश्चयों और अन्य लिखतों को, यथास्थिति, आयोग या परिषद् सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

केन्द्रीय सरकार को निदेश जारी करने की शक्ति।

45. (1) इस अधिनियम के अधीन गठित यथास्थिति प्रत्येक निकाय इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए नीतिगत प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्धकर होगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर लिखित में ऐसे निकाय को दे |

(2) केन्द्रीय सरकार और इस अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित किसी निकाय के बीच इस बारे में कि क्या कोई प्रश्न नीतिगत प्रश्न है या नहीं, कोई असहमति होने की दशा में, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार आयोग या परिषद् को ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने का निदेश दे सकेगी जो वह ठीक समझे ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

46. यथास्थिति, आयोग या परिषद् यथास्थिति ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं । इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य या सदस्य सचिव को अपनी शक्तियों में ऐसी शक्तियां (धारा 51 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

इस अधिनियम के अधीन आयोग स्थापित आयोग और परिषदों को अतिष्ठित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

47. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है—

(क) आयोग या परिषदों में से कोई परिषद् इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन इस पर अधिरोपित कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन स्थापित यथास्थिति, आयोग या परिषद् केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन करने में या इस अधिनिम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन इस पर अधिरोपित कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन करने में निरंतर व्यतिक्रम किया है तो केन्द्रीय सरकार भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा, यथास्थिति, आयोग या परिषद् को ऐसे अवधि के लिए जो छह मास से अधिक की नहीं होगी, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अतिष्ठित कर सकेगी;

परंतु केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी आदेश के जारी किए जाने से पूर्व यथास्थिति, आयोग या परिषदों को यह हेतुक दर्शित करने का अवसर प्रदान करेगी कि क्यों न इसे अतिष्ठित कर दिया जाए और यथास्थिति, आयोग या परिषदों के स्पष्टीकरण और आक्षेपों, यदि कोई हो, पर विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के प्रकाशित किए जाने पर यथास्थिति, आयोग या परिषदों का अतिष्ठित करना—

(क) यथास्थिति, आयोग के अध्यक्ष या परिषदों के सभापति और आयोग या परिषदों के अन्य सदस्य ऐसे अधिक्रमण की तारीख से अपना उस हैसियत का पद रिक्त कर दे ;

(ख) सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य जो, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन आयोग या परिषदों द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग किए जाए या जिनका निर्वहन किया जाए, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति, आयोग या परिषदों के गठन किए जाने तक, केन्द्रीय सरकार या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जैसा कि सरकार निदेश दे, प्रयोग की जा सकेंगी या निर्वहन किए जा सकेंगे; और

(ग) यथास्थिति, आयोग का परिषदों के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सभी संपत्तियां ऐसे निकाय के गठित किए जाने तक, केन्द्रीय सरकार में निहित बनी रहेंगी;

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर,—

(क) अधिक्रमण की अवधि को ऐसी और छह मास से अनधिक की अवधि तक

बढ़ा सकेगी जैसा वह अवश्यक समझे;या

(ख) यथास्थिति, आयोग या परिषदों का नई नियुक्ति द्वारा पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में ऐसे सदस्य जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त कर दिया है नियुक्ति के लिए निर्रहित नहीं समझे जाएंगे:

परंतु केन्द्रीय सरकार, अधिक्रमण की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय, चाहे वह मूल रूप उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हो या इस उपधारा के अधीन विस्तारित हो, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी करवाएगी और इस धारा के अधीन संसद प्रत्येक सदन के समक्ष जब संसद सत्र में हो तीस दिन की कुल अवधि के लिए जो एक सत्र या सत्रों या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जाने के लिए ऐसी कार्रवाई की परिस्थितियों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को पूरी करवाएगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

48. यथास्थिति, आयोग या परिषद् के किसी पदधारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाहियां किसी भी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, नहीं की जाएगी ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

49. इस नियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात को ध्यान में न रखते हुए प्रभाव होगा :

परंतु "राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं" और "ख्यातिप्राप्त संस्थाओं" को प्रदान की गई संस्थागत स्वायत्ता और स्वतंत्रता को केंदीय सरकार की पूर्व अनुमोदन से विनियमों के माध्यमों से विनिर्दिष्ट रीति में सम्यक रूप से संरक्षित रखा जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति।

50. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध हो सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 9 के खंड (1) के अधीन आयोग के अन्य कृत्य;

(ख) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन विनियामक परिषद् के अन्य कृत्य;

(ग) वह रीति जिसमें कोई विद्यमान या नया प्रत्यायित विश्वविद्यालय धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन घटक महाविद्यालय; आफ कैम्पस और बहु कैम्पस स्थापित करेगा;

(घ) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन प्रत्यायन परिषद् के अन्य कृत्य;

(ङ) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन मानक परिषद् के अन्य कृत्य ;

(च) वह रीति जिसमें आयोग और परिषदों के अन्य सदस्य धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा

नियुक्त किए जाएंगे;

(छ) वह रीति जिसमें आयोग और परिषदों का सदस्य सचिव धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(ज) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन खोज-सह-चयन समिति की अवधि और नामों के पेनल के चयन की रीति;

(झ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन संबंधित परिषदों के अध्यक्ष, सभापति और पूर्णकालिक सदस्यों को हटाने के लिए जांच की रीति और अवधि;

(ञ) वह रीति जिसमें, यथास्थिति, आयोग या परिषदों के अन्य सदस्य धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाए जा सकेंगे;

(ट) वह रीति जिसमें धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या संबंधित परिषदों के अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा घोषणा की जाएगी;

(ठ) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन संबंधित परिषदों के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों तथा आयोग के एवं परिषदों के सदस्य सचिव को संदेश वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ड) धारा 29 के अधीन वह प्ररूप, रीति और प्राधिकारी जिसके समक्ष आयोग के अध्यक्ष एवं लक्ष्य तथा परिषद् के अध्यक्ष और इसके सदस्य के अध्यक्ष और इसके सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व पद की और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा;

(ढ़) धारा 31 के अधीन आयोग तथा परिषदों के लिए सचिवालय ;

(ण) धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार के स्थापित ऐसे उच्चतर शैक्षिक संस्था को बंद करने की रीति;

(त) धारा 34 के अधीन विनियामक परिषद् द्वारा न्यायनिर्णयन तंत्र को स्थापित करने की रीति;

(थ) धारा 37 के अधीन केन्द्रीय सरकार के समक्ष आयोग या परिषदों में से किसी परिषद् के आदेश के विरुद्ध अपील करने की अवधि और रीति;

(द) धारा 40 के अधीन वह प्ररूप और अवधि जिसमें आयोग द्वारा बजट तैयार किया जाना है;

(ध) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप और रीति जिसमें आयोग लेखाओं तथा अन्य अभिलेखों को बनाए रखा जाएगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा;

(न) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप, रीति और अवधि जिसके भीतर आयोग केन्द्रीय सरकार को रिपोर्टें तथा विवरणों को प्रस्तुत करेगा ।

(प) धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति और अवधि जिसमें आयोग परिषदों के साथ समन्वय करके प्रत्येक वर्ष में एक बार एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ;

(फ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के

लिए नियमों द्वारा उपबंधित किया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या उनमें से किसी नियम को ऐसी तारीख से, जो ऐसी तारीख जिसको ऐसा नियम प्रवृत्त होगा, से पूर्वतर की तारीख नहीं है भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति होगी किंतु ऐसा किसी ऐसे नियम को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा नियम लागू होता है, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

51. (1) यथास्थिति, आयोग या संबंधित परिषद्, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे नियम बना सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हो ।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों निम्नलिखित सभी विषयों या इनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन आयोग की बैठकों के कारबार संव्यवहार जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है के संबंध में प्रक्रिया;

(ख) धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की रीति जो उनकी बैठकों के लिए "विशेष आमंत्री" के रूप में विनियामक परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए;

(ग) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन खंड (घ), खंड (ङ), खंड (ञ), खंड (ण), खंड (त), खंड (थ), खंड (द) से भिन्न उपधारा (2) में निर्दिष्ट खंडों के अधीन विनियामक परिषद् के कृत्य;

(घ) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन, विश्वविद्यालय से भिन्न प्रत्यायित उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उपाधियां प्रदान करने के प्राधिकरण की रीति;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन विनियामक परिषद् की बैठकों में कारबार का संव्यवहार (जिसमें ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) के संबंध में प्रक्रिया;

(च) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की रीति जो उनकी बैठकों के लिए "विशेष आमंत्री" के रूप में प्रत्यायन परिषद् द्वारा अवधारित की जाए ।

(छ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) से भिन्न उपधारा (2) में निर्दिष्ट खंडों के अधीन प्रत्यायन परिषद् के कृत्य ।

(ज) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन संस्थागत प्रत्यायन रूपरेखा को विनिर्दिष्ट करना;

(झ) धारा 14 की उपधारा (6) के अधीन प्रत्यायन परिषद् की बैठकों में कारबार के संव्यवहार (जिसमें ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) के संबंध में प्रक्रिया;

(ञ) धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की रीति जो उनकी बैठकों के लिए "विशेष आमंत्री" के रूप में मानक परिषद् द्वारा अवधारित की जाए ।

(ट) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन खंड (ख), खंड (ग), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ट), और खंड (ठ) से भिन्न उपधारा (2) में निर्दिष्ट खंडों के अधीन मानक परिषद् के कृत्य;

(ठ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन मानक परिषद् की बैठकों में कारबार के संव्यवहार (जिसमें ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) के संबंध में प्रक्रिया;

(ड) ऐसी रीति और प्रयोजनों जिनके लिए आयोग एवं परिषदें धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन सहायता या सलाह के लिए ऐसे व्यक्तियों के साथ सहयुक्त हो सके ।

(3) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों के समन्वय और अवधारण से संबंधित इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी विनियमों द्वारा अनुपालन की अपेक्षा की जाती है जिससे धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (ढ़) के अधीन बनाए गए विनियमों और खंड (क) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्ता और उत्कृष्टता के उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके :

संसद के समक्ष रखा जाना ।

52. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम और जारी की गई अधिसूचना बनाए जाने के पश्चात् यथाशीध्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम या अधिसूचना नहीं बनाया या जारी किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम या विनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

53. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं निकाला जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक ओदश, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीध्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

54. (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् जिसे क्रमश: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के अधीन स्थापित किया गया है इस अधिनियम के अधीन आयोग तथा परिषद् स्थापित हो जाने तक प्रवृत्त बनी रहेगी और कार्य करती रहेंगी ।

1956 का 3
1987 का 52
1993 का 17

(2) जब तक आयोग के अध्यक्ष, संबंधित परिषदों के सभापति, और पूर्णकालिक सदस्य, आयोग तथा परिषदों के सदस्य-सचिव और ऐसे अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रभावी होने तक, केन्द्रीय सरकार संक्रमणकालीन उपाय के रूप में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा आयोग के पहले अध्यक्ष को आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दो वर्ष की अवधि के लिए या आयोग और परिषदों के गठन हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, आयोग के अध्यक्ष, संबंधित परिषदों के सभापति और पूर्णकालिक सदस्य, आयोग तथा परिषदों के सदस्य सचिव, तथा ऐसे अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगी ।

(3)विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्तमान में विनियमित संस्थाएं गठित की जाएंगी मानों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा अधिनियम, 1993 सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो ।

1956 का 3
1987 का 52
1993 का 17

निरसन और व्यावृत्ति ।

55. (1) ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा अधिनियम, 1993 निरसित हो जाएंगे और इन अधिनियमों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् विघटित हो जाएंगी ।

1956 का 3
1987 का 52
1993 का 17

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी—

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम के मानक उनकी अपेक्षाएं और अन्य उपबंध तथा तद्धीन बनाए गए नियम और विनियम तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे और कार्य करते रहेंगे जब तक इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन नए मानक या अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट नहीं कर दी जाए:

परंतु निरसनाधीन अधिनियमितियों और तद्धीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन जहां तक शैक्षिक मानकों और अपेक्षाओं का संबंध है, की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई को अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है:

1956 का 3

परंतु यह और कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं को इस अधिनियम के अधीन संस्थाएं समझा जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसी संस्थाओं को लागू होंगे ।

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में उक्त अधिनियमितियों के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रति निर्देश है ।

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम या विनियम या किसी संविदा या अन्य लिखत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन गठित और स्थापित आयोग या परिषदों में

से किसी परिषद्, जैसा आयोग द्वारा विनिश्चय किया जाए, प्रतिनिर्देश है;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् की सभी संपत्तियां, चल और अचल आयोग या परिषदों में से किसी परिषद् में निहित हो जाएंगी, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए ;

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय शिक्षक पश्चात शिक्षा परिषद् के सभी अधिकार और दायित्व इस अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित आयोग या परिषदों में से किसी परिषद् को अंतरित हो जाएंगे और आयोग या परिषद् के अधिकार और दायित्व होंगे और यथास्थिति, आयोग या परिषद् में निहित होंगे ।

(3) उक्त अधिनियमितियों का निरसन इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व, उक्त अधिनियमितियों में से किसी अधिनियमिति के अधीन विभिन्न न्यायालयों या अधिकरणों में लंबित कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेंगी और ऐसे कार्यवाहियां इस प्रकार जारी रहेंगी और उनका निपटान किया जाएगा मानों ये अधिनियमितियां काल्पनिक रूप से अस्तित्ववान हो ।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के विघटन हो जाने पर, ऐसे विघटन से ठीक पूर्व पदधारण करने वाले इन निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने-अपने पदों को रिक्त कर देंगे और ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने पद के समय पूर्व या सेवा की किसी संविदा के अवसान के लिए तीन मास के वेतन तथा भत्तों का प्रतिकर का दावा करने के हकदार होंगे ।

(5) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही यथास्थिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् द्वारा नियमित या संविदात्मक आधार पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, यथास्थिति, आयोग या परिषदों में से किसी परिषद् का उसी कार्यकाल तक, उसी पारिश्रमिक और उन्हीं निबंधनों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों सहित उसी प्रकार नियोजित होगा जिस प्रकार उसने वह पदधारण किया होता यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं हुआ होता और यह तब तक बना रहेगा जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं हो जाता है या ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और सेवा के निबंधन और शर्तें नियमों या विनियमों द्वारा सम्यकत: परिवर्तित नहीं कर दी जाती है:

परंतु यदि कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के विघटन से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया गया है, ऐसे विघटन पर, यथास्थिति, अपने मूल काडर, मंत्रालय या विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएंगे ।

(6) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस धारा में विशिष्ट विषयों के उल्लेख निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 धारा 6 के साधारण लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा । 1897 का 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची-1) की प्रविष्टि 66 उच्चतरतर शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और अवधारण का उपबंध करती है। तदनुसार, विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और अवधारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई।

2. इसके पश्चात् भारत में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का आकार, विस्तार और जटिलताएँ कई गुना बढ़ गई हैं। वर्तमान में देश में एक हजार से अधिक विश्वविद्यालय तथा साठ हजार से अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें चार करोड़ से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं। उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विस्तार के साथ अनेक कानूनी विविनियामक निकायों की स्थापना हुई है, जिसके कारण उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को अनेक स्वीकृतियां लेनी पड़ती हैं, निरीक्षण आदि होते हैं, जिससे क्षेत्र में अति-विनियमन और नियंत्रण की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः देश में उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के लिए सरल विविनियामक प्रणालियां उपलब्ध कराने की प्रबल आवश्यकता है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं–जिसमें विनियमन और शासन भी सम्मिलित हैं–के पुनरीक्षण और पुनर्गठन की परिकल्पना करती है, ताकि 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें सतत विकास लक्ष्य-4 (एसडीजी-4) भी सम्मिलित है, के अनुरूप एक नई प्रणाली विकसित की जा सके, साथ ही हमारी राष्ट्रीय परंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर आधारित हो।

4. इसके अतिरिक्त, एनईपी, 2020 यह मानती है कि उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और उसे फलने-फूलने में सक्षम बनाने के लिए विनियामक प्रणाली में पूर्ण रूप से सुधार की आवश्यकता है। एनईपी, 2020 "सरल लेकिन सुदृढ़" विनियामक ढांचे की परिकल्पना करती है, जिससे लेखा-परीक्षा और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शिक्षा प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन-दक्षता सुनिश्चित की जा सके, साथ ही स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार एवं रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके।

5. तदनुसार, एनईपी, 2020 की परिकल्पना, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के विश्लेषण और उनके उपयुक्त अनुकूलन के पश्चात् संसद् में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है।

6. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 के अधीन विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना का उपबंध है, साथ ही तीन परिषदों का गठन प्रस्तावित है—

(i) विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद्,

(ii) विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद् तथा

(iii) विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद् ।

इनका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सक्षम और सशक्त बनाना है, जिससे उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं में मानकों के

बेहतर समन्वय और अवधारण को सुनिश्चित किया जा सके।

7. यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987; तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 को निरस्त करने का भी उपबंध करता है।

8. यह विधेयक यह भी प्रस्ताव करता है कि वास्तुकला परिषद् जिसकी स्थापना वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन हुई थी, एनईपी 2020 की परिकल्पना के अनुसार एक वृत्तिक मानक निर्धारण निकाय के रूप में कार्य करेगी जिसको प्रस्तावित विधेयक के अधीन गठित होने वाली तीनों परिषदों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा । मानक परिषद् के सदस्य के रूप में, पाठ्यक्रम विरचना, शैक्षणिक मानकों के अधिकथन तथा अपने क्षेत्र या अनुशासन में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के बीच समन्वय स्थापित करने में भाग लेगी।

9. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान उच्चतर शिक्षा के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करने वाला एक शीर्ष छत्र निकाय होगा तथा परिषदों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा। मानक परिषद् उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक मानकों के सामंजस्य और अवधारण को सुनिश्चित करेगी। विनियामक परिषद् उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में मानकों के समन्वय और उनके अनुरक्षण को सुनिश्चित करेगी। वहीं प्रत्यायन परिषद् एक स्वतंत्र प्रत्यायन पारिस्थितिकी तंत्र की मानीटरी और पर्यवेक्षण करने वाला प्रत्यायन निकाय होगी।

10. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान और परिषदों की सदस्यता में मुख्य रूप से शिक्षाविद्, विषय विशेषज्ञ तथा राज्यों, संघ राज्यक्षेत्र, राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

11. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा तथा विद्यार्थियों की ऐसी प्रतिभा-संपदा का निर्माण करेगा, जो विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में देश की सहायता करेगी। यह युवाओं को सशक्त बनाएगा, समग्र विकास हेतु आलोचनात्मक और नवोन्मेषी सोच को प्रोत्साहित करेगा, तथा अंतःविषयक और लचीली शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, जिससे सतत पुनः कौशल और कौशल-वर्धन संभव हो सके। छात्रों को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र तक भी पहुंच प्राप्त होगी । इस प्रकार यह विधेयक वर्तमान और भावी पीढ़ियों को भविष्य के लिए तैयार करेगा ।

12. यह विधेयक सुचारु रूप से कार्य कर रहे उच्चतर शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता के युग की शुरुआत हेतु आवश्यक विनियामक सुधार लाएगा । वर्तमान में उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के समक्ष गैर-सामंजस्यपूर्ण विनियामक स्वीकृति प्रक्रियाओं वाले अनेक नियामकों के कारण जो चुनौतियां हैं, उन्हें समाप्त किया जाएगा । पूरी विनियामक प्रणाली को सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण पर आधारित, प्रौद्योगिकी-संचालित एकल खिड़की इंटरैक्टिव प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाएगा । विनियामक परिषद् एक सार्वजनिक पोर्टल बनाए रखेगी, जिसमें उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय शुचिता, सुशासन, वित्त, लेखा-परीक्षा, प्रक्रियाएं, अवसंरचना, संकाय और कर्मचारिवृंद, पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक परिणामों से संबंधित सभी विषयों की रिपोर्ट देनी होगी । विनियामक परिषद् के सार्वजनिक पोर्टल

पर उपलब्ध कराई गई जानकारी ही उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के प्रत्यायन का आधार भी बनेगी।

13. यह विधेयक देश में वैश्विक मानकों वाले उच्चतर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा तथा देश के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा ।

14. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता हैं।

15. यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली ,
12 दिसंबर, 2025

धर्मेंद्र प्रधान

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 2 प्रस्तावित विधान के लागू होने का उपबंध करने के लिए है । प्रस्तावित विधान (क) भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्र के अधीन संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के सभी संस्थान ; (ख) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की ऐसी संस्थाएं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए ; (ग) भारत में विश्वविद्यालय, जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या किसी अन्य संस्था, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के उपबंधों के अधीन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा की किसी अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित किया गया हो, द्वारा स्थापित या निगमित हो ; (घ) इस अधिनियम के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों या उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं से संबद्ध महाविद्यालय और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं; (ङ) वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन विनियमित संस्थाएं ; (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 द्वारा विनियमित संस्थाएं ; (छ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के अधीन विनियमित संस्थाएं ; (ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायन प्राप्त मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा संस्थाएं ; (झ) प्रख्यात संस्थाएं ; (ञ) ऐसे अन्य वृत्तिक परिषदों द्वारा विनियमित संस्थाएं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए; और (ट) अन्य कार्यक्रम और संस्थाएं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, को लागू होता है ।

विधेयक का खंड 3 प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त कतिपय अभिव्यक्तियों की परिभाषा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 4 प्रस्तावित विधान द्वारा उच्चतर शिक्षा में सत्यनिष्ठा, उत्कृष्टता और जनहित की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी, सक्षम और उत्तरदायी विनियमन प्रणाली प्रदान करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 5 विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (आयोग) को इसे प्रदत्त शक्तियों और सौंपे गए कृत्यों का प्रयोग करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 6 आयोग की संरचना का उपबंध करने के लिए है । आयोग अध्यक्ष और बारह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा । बारह सदस्यों में से दो राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थान से आचार्य की रैंक से अन्यून के प्रख्यात और सुविख्यात अकादमिशियन होंगे तथा पांच प्रख्यात विशेषज्ञ होंगे ।

विधेयक का खंड 7 आयोग के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव के उत्तरदायित्व का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 8 आयोग की बैठकों तथा उन बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए है । आयोग अन्य वृत्तिक मानक निर्धारण निकायों के प्रमुखों और ऐसे अन्य निकायों को, जिन्हें आयोग उचित समझे, विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकता है, परंतु जब आयोग किसी विशिष्ट वृत्तिक मानक निर्धारण निकाय के

अनन्य क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले पर निर्णय ले रहा हो, तो आयोग उक्त निकाय के नामांकित व्यक्तियों को आमंत्रित करेगा ।

विधेयक का खंड 9 आयोग के कृत्यों का उपबंध करने के लिए है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं- (क) प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के व्यापक और समग्र विकास के लिए उच्च स्तरीय सामरिक दिशा प्रदान करना; (ख) उच्च शैक्षिक संस्थाओं को वृहत्त बहु-विद्याशाखा शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए रूपरेखा विकसित करना; (ग) भारत को शिक्षा गंतव्य के रूप में संवर्धित करने के लिए रूपरेखा विकसित करना; (घ) बहु-विद्याशाखा उच्चतर शिक्षा प्रणाली में घरेलू ज्ञान, भाषाओं और कलाओं के एकीकरण और संवर्धन के लिए एक रूपरेखा विकसित करना; (ङ) इस अधिनियम के अधीन स्थापित परिषदों के सहक्रियात्मक कार्यकरण के लिए सामरिक दिशा प्रदान करना तथा उनके बीच समन्वय सुनिश्चित करना; (च) समन्वय के प्रयोजनार्थ परिषदों को निदेश देना; (छ) परिषद् के समुचित संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

विधेयक का खंड 10 प्रस्तावित विधान के अधीन विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद् (विनियामक परिषद्) की स्थापना का उपबंध करने के लिए है, जो भारत में उच्चतर शिक्षा के सामान्य विनियामक के रूप में कृत्य करेगी ।

विधेयक का खंड 11 विनियामक परिषद् के कृत्यों का उपबंध करने के लिए है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित को सम्मिलित करती है- (क) यह अपेक्षा करना कि सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण प्रत्यायन और स्वायत्तता प्राप्त करें जिससे वर्तमान उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को स्वायत्त, जीवंत और सशक्त बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों में परिवर्तित किया जा सके, जिनमें उच्च क्वालिटी शिक्षा, अनुसंधान और सेवा सम्मिलित हों, जिसके अंतर्गत एकीकृत व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम भी हैं ; (ख) उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा सभी वित्त, संपरीक्षा, प्रक्रियाओं, बुनियादी ढांचे, संकाय, पाठ्यक्रम, शैक्षिक परिणामों और प्रत्यायन संबंधी जानकारी का पूर्ण विनियानक परिषद् द्वारा अनुरक्षित पब्लिक वेबसाइट और संस्थानों की वेबसाइटों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन लोक स्व-प्रकटीकरण की अपेक्षा करना ; (ग) यह अपेक्षा करना कि उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के सभी शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य विधि पूर्वक संचालित किए जाएं तथा उनकी विनियानक परिषद् द्वारा अनुरक्षित पब्लिक वेबसाइट और संस्थानों की वेबसाइटों पर रिपोर्टिंग ईमानदारी और पारदर्शिता से की जाए; (घ) उच्चतर शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए एक सुसंगत और समावेशी नीति विकसित करना; (ङ) उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रमुख वित्तीय मामलों के प्रकटीकरण के लिए एक व्यवस्थित योजना विकस और उसका क्रियान्वयन करना तथा यह अपेक्षा करना कि उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के संपरीक्षा और वित्तीय प्रकटीकरण मानकों का पालन किया जाए; (च) लोक स्व-प्रकटीकरण में बेईमानी या किसी अन्य शैक्षिक, प्रशासनिक या वित्तीय अनौचित्य के मामलें में साठ दिन के भीतर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करना; (छ) यह अपेक्षा करना कि छात्रों की ऋजु, पारदर्शी और सख्त शिकायत निवारण तंत्र तक मुक्त पहुंच हो; (ज) पणधारियों से उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त परिवादों या शिकायतों का निपटान करना; (झ) यह अपेक्षित है कि मानक परिषद् द्वारा यथा अवधारित उच्चतर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रचालन के लिए न्यूनतम मानकों का अनुपालन किया जाए; (ञ)

उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन के लिए माडल और रूपरेखा का विकास करना ।

विधेयक का खंड 12 संघटक महाविद्यालयों, ऑफ कैंपस और बहुकैंपस की स्थापना का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 13 विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद् (प्रत्यायन परिषद्) की स्थापना का उपबंध करने के लिए है, जो अध्यक्ष और संख्या में चौदह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी । चौदह सदस्यों में से आचार्य की रैंक से अन्यून दो प्रख्यात और ख्याति प्राप्ति शिक्षाविद् होंगे ; राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं से आचार्य की रैंक से अन्यून दो प्रख्यात और ख्याति प्राप्ति शिक्षाविद् होंगे ; वास्तुविद् परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति होगा ; ष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं से आचार्य की रैंक से अन्यून तीन प्रख्यात और ख्याति प्राप्ति शिक्षाविद् होंगे ; और दो प्रख्यात विशेषज्ञ होंगे ।

विधेयक का खंड 14 प्रत्यायन परिषद् के कृत्यों का उपबंध करने के लिए है । प्रत्यायन परिषद् प्रत्यायन के स्वतंत्र पारिस्थितिकीय तंत्र का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करने के लिए प्रत्यायन निकाय के रूप में कार्य करेगी । अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्यायन परिषद् के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा - सुसंगत हितधारकों के परामर्श से परिणाम आधारित सांस्थानिक प्रत्यायन ढांचा विकसित करना, जो, यथास्थिति ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षण या शिक्षण के किसी अन्य रूप में मुक्त और दूरस्थ शिक्षण के साथ या उसके बिना प्रत्यायन करने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए प्रयोग किया जाएगा; धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट लोक वेबसाइट के माध्यम से प्रचालित प्रौद्योगिकी प्रेरित तंत्र का प्रयोग करके प्रत्यायन कार्यान्वित करना ; उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के प्रत्ययन के लिए अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त क्षमता के साथ उच्च गुणवत्ता और उच्च निष्ठा वाली प्रत्यायन प्रणाली को विकसित करने के लिए, यथास्थिति, प्रत्यायन संस्थाओं को पैनलित तथा पैनल से बाहर करना ;

विधेयक का खंड 15 विकसित भारत मानक परिषद (मानक परिषद) की स्थापना जो एक अध्यक्ष और संख्या में चौदह से अनधिक अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी का उपबंध करने के लिए है । चौदह सदस्यों में दो आचार्य के रैंक से अन्यून प्रख्यात और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद् होंगे; राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं से आचार्य की रैंक से अन्यून एक प्रख्यात और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्; चक्रानुक्रम आधार पर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का एक नामित; वास्तुविद् परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति; राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं से आचार्य की रैंक से अन्यून तीन प्रख्यात और ख्याति प्राप्ति शिक्षाविद् ; दो प्रख्यात विशेषज्ञ होंगे ।

विधेयक का खंड 16 मानक परिषद के कृत्यों का उपबंध करने के लिए है जो जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–(क) उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रत्याशित शिक्षण परिणामों ('स्नातक गुण' के रूप में भी निर्दिष्ट) विरचित करना, जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को मार्गदर्शन दे सकें ; (ख) व्यावसायिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा में एकीकरण करना आसान बनाने के लिए शिक्षण परिणामों हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का उपबंध करना ; (ग) "डॉक्टर ऑफ फिलोसफी", "डिप्लोमा" और "प्रमाणपत्र" से भिन्न, "प्रमाणपत्र" और "डिप्लोमा" के नामकरण तथा शैक्षणिक अर्हताओं के स्तरों का उपबंध करना, जो केंद्रीय सरकार के परामर्श से किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्था द्वारा प्रदान किए जा सकें ; (घ) छात्रों

के संचलन को सुकर बनाने के लिए प्रत्यय अंतरण, समतुल्यता और अन्य संबंधित विषयों के लिए मानदंडों का उपबंध करना ; (ङ) संस्थाओं और कार्यक्रमों तथा संपूर्ण खुले और दूरस्थ शिक्षण, ऑनलाइन और पारंपरिक 'कक्षा में' पद्धतियों के लिए उच्चतर शिक्षा अर्हताओं का एक सुझाया गया वृहद ढांचा विकसित करना, जिसके भीतर संस्थाओं और संकाय को पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और निर्धारण के विषयों पर नवाचार के लिए स्वायत्तता होगी ; (च) अकादमिक शिक्षण की गुणवत्ता का संवर्धन तथा उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में न्यूनतम अकादमिक मानक अवधारित करना ; (छ) उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रचालन के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम मानक अधिकथित करना; (ज) वर्धित छात्र अनुभवों तथा शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, निर्धारण और छात्र सहयोग के नवाचारी विकास के लिए बाध्यता विहीन ढांचा स्थापित करना, जिसके अंतर्गत भारतीय ज्ञान, कला और भाषाओं के संवर्धन के लिए शिक्षा के भारतीयकरण के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय मानकों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का संवर्धन भी है ; (झ) उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में अकादमिक मानकों के अवधारण के लिए परिप्रेक्ष्य योजना विकसित करना ; और (ञ) ऐसी अर्हताएं जो इसके द्वारा विहित की जाएं, अनुपालित करना ।

विधेयक का खंड 17 संसद् के अधिनियम द्वारा विशेषरूप से सशक्त विश्वविद्यालय या संस्था को या इस प्रस्तावित विधान के अधीन सशक्त किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को डिग्री अनुदत्त करने या देने का अधिकार देने के लिए सशक्त करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 18 आयोग का अध्यक्ष ख्यातिप्राप्त या प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सरकार की सिफारिशों पर मानक परिषद द्वारा मानद क्षमता में की जाएगी का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 19 परिषदों के अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता का उपबंध करती है।

विधेयक का खंड 20 के अधीन परिषदों के अध्यक्षों और सदस्यों तथा आयोगों और परिषदों के सदस्य-सचिवों की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है । परिषदों के अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी।

विधेयक का खंड 21 में खोज-सह-चयन समिति की संरचना का उपबंध करने के लिए है। इस समिति में केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और उच्च शिक्षा से संबंधित मंत्रालय या विभाग में भारत सरकार के सचिव पदेन सदस्य होंगे।

विधेयक का खंड 22 में आयोग के अध्यक्ष, प्रत्येक परिषद के अध्यक्षों, आयोग और परिषदों के सदस्यों और विनियामक परिषद और मानक परिषद के संबंध में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामित व्यक्तियों के कार्यकाल के लिए उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 23 आयोगों या परिषदों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 24 आयोग के अध्यक्ष या आयोग के किसी अन्य सदस्य या परिषदों के अध्यक्षों या परिषदों के सदस्यों को हटाने का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 25 में आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या परिषदों के अध्यक्षों या सदस्यों द्वारा नियुक्ति के बाद और उसके बाद प्रत्येक वर्ष, किसी अनुसंधान संस्थान या उच्च शिक्षा संस्थान या किसी अन्य व्यावसायिक या वित्तीय कार्यकलाप में उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और आर्थिक या अन्य प्रकार के हित की घोषणा करने का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 26 आयोग के अध्यक्षों या पूर्णकालिक सदस्यों या परिषदों के अध्यक्षों या पूर्णकालिक सदस्यों पर उनके पद त्याग की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, परिषद के अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनके कर्तव्य क्षेत्र में या उससे संबंधित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 27 में संबंधित परिषदों के अध्यक्षों और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों तथा आयोग और परिषदों के सदस्य-सचिवों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों और नियमों का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक के खंड 28 में यह उपबंध करने के लिए है कि आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति या आयोग या परिषदों के गठन में किसी दोष या आयोग के अध्यक्ष या परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में किसी दोष या आयोग या परिषदों की प्रक्रिया में किसी अनियमितता के कारण अमान्य नहीं होगी, परन्तु इससे मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव न पड़े।

विधेयक का खंड 29 में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा संबंधित परिषदों के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले पद और गोपनीयता की शपथ लेने और उस पर हस्ताक्षर करने का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 30 आयोग और परिषदों के मुख्यालयों के लिए उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 31 आयोग और प्रत्येक परिषद के कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए अलग-अलग सचिवालयों की उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 32 में परिषदों के अध्यक्ष और राष्ट्रपति के लिए और आयोग या परिषदों के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक माने जाएंगे का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 33 में इस प्रस्तावित विधान के उपबंधों, या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन के लिए विनियामक परिषद द्वारा शास्ति लगाने का उपबंध करने के लिए है।

विधेयक का खंड 34 प्रस्तावित विधान के अधीन शास्तियों के अधिनिर्णयन का और उक्त प्रयोजन के लिए विनियामक परिषद्, जो नियमों द्वारा विहित की जाए एक अधिनिर्णायक क्रिया विधि का गठन करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 35 प्रस्तावित विधान के अधीन शास्तियों के माध्यम से प्राप्त सभी राशियों को निधि में जमा करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 36 विनियामक परिषद् को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का उपबंध करने के लिए है कि प्रस्तावित विधान के अधीन किसी शास्ति का अधिरोपण

छात्रों के हितों को प्रभावित न करे या उसमें नामांकित छात्रों पर कोई धनीय दुष्परिणाम कारित ना हो ।

विधेयक का खंड 37 आयोग या परिषदों में किसी द्वारा किए गए ओदश या विनिश्चय के विरूद्ध अपील केंद्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा विहित की जाए, होगी और ऐसा विनिश्चय पक्षकारों पर आबद्धकर होगा का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 38 केंद्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात् आयोग को ऐसी धनराशियों के अनुदान के लिए जो सरकार प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु ठीक समझे और आयोग को परिषद् के लिए सम्यक विनियोग करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 39 आयोग की निधि जिसे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान निधि कहा गया है और सभी ऐसी राशियां जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा उसे प्रदान की जाए और आयोग तथा परिषदों की सभी प्राप्तियां निधि में अग्रणीत की जाएगी और आयोग तथा परिषदों द्वारा सभी संदाय इनसे किए जाएंगे और आयोग ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह प्रस्तावित विधान के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ठीक समझे का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 40 आयोग के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, परिषदों के साथ समन्वय करके, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए एक बजट तैयार करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 41 आयोग के, परिषदों के साथ समन्वय से और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से उचित लेखा के रखरखाव का उपबंध करने के लिए है । आयोग और परिषदों के लेखाओं जैसा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उनके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया हो, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, आयोग द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

विधेयक का खंड 42 आयोग या परिषदों की अधिकारिता के अधीन किसी विषय के संबंध में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाली ऐसी रिर्पोटों और विवरणों जिनकी केंद्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, की विशिष्टियां प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए है । आयोग, परिषदों के साथ समन्वय करके, प्रत्येक वर्ष में एक बार, आयोग और परिषदों के कार्यकलापों का सार देते हुए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां केंद्रीय सरकार को भेजी जाएंगी जो संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 43 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग या परिषदों के व्यक्तियों, जो प्रस्तावित विधान के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, के अस्थायी संगम और ऐसे व्यक्तियों को उस प्रयोजन से सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु उन्हें आयोग या परिषदों की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 44 आयोग और परिषदों द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों, विनिश्चयों और अन्य लिखतों को यथास्थिति, आयोग या परिषदों के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर द्वारा

अधिप्रमाणित किया जाएगा, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 45 केंद्रीय सरकार को नीतिगत प्रश्नों पर आयोग को निदेश जारी करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 46 आयोग या परिषदों द्वारा किसी सदस्य या सदस्य-सचिव को धारा 51 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 47 केंद्रीय सरकार को इस प्रस्तावित विधान के अधीन आयोग और परिषदों को अतिष्ठित करने का उपबंध करने के लिए है । यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि आयोग या परिषद् इस प्रस्तावित विधान के उपबंधों द्वारा या के अधीन इस अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन करने में असमर्थ है या इस प्रस्तावित विधान के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में या इस प्रस्तावित विधान के अधीन अधिरोपित कृत्यों तथा कर्तव्यों में निरंतर व्यतिक्रम किया है, तो केंद्रीय सरकार भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा, यथास्थिति, आयोग या परिषद् को, ऐसी अवधि के लिए, जो छह मास से अधिक की नहीं होगी, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अतिष्ठित कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 48 आयोग या परिषद् के पदधारी या अधिकारी को प्रस्तावित विधान के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए संरक्षण का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 49 प्रस्तावित विधान के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात को ध्यान में न रखते हुए प्रभाव होगा, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 50 केंद्रीय सरकार की इस प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्ययीन रहते हुए जो इस अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न हो नियम बनाने की शक्ति, का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 51 आयोग या संबंधित परिषदों की इस प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हो विनियम बनाने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 52 प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और विनियम तथा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 53 केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर करने की शक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 54 संक्रमणकालीन उपबंध करने के लिए है । आयोग के अध्यक्ष, संबंधित परिषदों के सभापति और पूर्णकालिक सदस्य, आयोग तथा परिषदों के सदस्य-सचिव और ऐसे अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रभावी होने तक, केन्द्रीय सरकार संक्रमणकालीन उपाय

के रूप में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा आयोग के पहले अध्यक्ष को आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दो वर्ष की अवधि के लिए या आयोग और परिषदों के गठन हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, आयोग के अध्यक्ष, संबंधित परिषदों के सभापति और पूर्णकालिक सदस्य, आयोग तथा परिषदों के सदस्य सचिव, तथा ऐसे अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगी । संबंधित विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्तमान में विनियमित संस्थाएं गठित की जाएंगी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा अधिनियम, 1993 इस प्रस्तावित विधान के अधीन आयोग और परिषदों की स्थापित होने तक प्रवृत्त और प्रचालित रहेंगे ।

विधेयक का खंड 55 प्रस्तावित विधान के अधीन निरसन और व्यावृति का उपबंध करने के लिए है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा अधिनियम, 1993 निरसित हो जाऐंगे और इन अधिनियमों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित नियत तारीख से विघटित हो जाएंगे । इन अधिनियमों के निरसित होने के पश्चात् भी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के शैक्षिक मानक, अपेक्षाएं और अन्य उपबंध तथा तद्दधीन बनाए गए नियम और विनियम तब तक प्रवृत्त और प्रचालित बने रहेंगे जब तक इस अधिनियम या तद्दधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन नए मानक या अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट नहीं की जाती है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक की धारा 5 की उपधारा (1) विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (आयोग) के गठन का उपबंध करने के लिए करने के लिए है, जो उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करेगा।

धारा 10 की उपधारा (1) विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद् (विनियामक परिषद्) की स्थापना का उपबंध करने के लिए करने के लिए है, जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए सामान्य विनियामक के रूप में कार्य करेगी।

धारा 13 की उपधारा (1) विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद् (मान्यता परिषद्) की स्थापना का उपबंध करने के लिए करने के लिए है, जो एक प्रत्यायन प्रदान करने वाले निकाय के रूप में कार्य करेगी और प्रत्यायन की स्वतंत्र व्यवस्था की निगरानी और पर्यवेक्षण करेगी।

धारा 15 की उपधारा (1) विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद् (मानक परिषद्) की स्थापना का उपबंध करने के लिए है, जो उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक मानकों के निर्धारण के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सभी कदम उठाएगी।

धारा 20 में परिषदों के अध्यक्षों और सदस्यों, आयोग के सदस्यों और आयोग और परिषदों के सदस्य सचिवों की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है।

धारा 27 परिषदों के अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों और आयोग और परिषदों के सदस्य सचिवों के वेतन और भत्तों का उपबंध करने के लिए है।

धारा 31 इस अधिनियम के अधीन आयोग और प्रत्येक परिषद् के कृत्यों के निर्वहन और उनके दक्ष प्रदर्शन के लिए अलग-अलग सचिवालयों का उपबंध करने के लिए है।

धारा 38 की उपधारा (1) संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग को अनुदान दिए जाने का उपबंध करने के लिए है।

धारा 39 यह उपबंध करने के लिए है कि आयोग की अपनी एक निधि होगा जिसे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान निधि कहा जाएगा। इस निधि का उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन और केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग और उसके अधीन परिषदों को सौंपे गए कृत्यों के निष्पादन हेतु किया जाएगा।

धारा 55 की उपधारा (2) अन्य बातों के साथ यह उपबंध करने के लिए है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की सभी चल-अचल संपत्तियां आयोग या परिषदों में, जो केंद्रीय सरकार विनिश्चित करे, निहित होंगी। परिणामस्वरूप, केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग और उसकी परिषदों को दिया जाने वाला बजटीय समर्थन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को वर्तमान में दिए जा रहे बजटीय समर्थन के स्तर से अधिक नहीं होने का अनुमान है।

धारा 55 की उपधारा (5) अन्य बातों के साथ यह उपबंध करने के लिए है कि इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले, यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में नियमित आधार पर

नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को आयोग या किसी परिषद् का कर्मचारी माना जाएगा, वह उसी कार्यकाल, समान पारिश्रमिक और समान निबंधनों और शर्तों पर पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि आदि से संबंधित समान अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ कार्यरत रहेगा, जो आयोग द्वारा विनिश्चित किएं जाएं, जैसे वह इस अधिनियम के लागू न होने की स्थिति में रहता और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि उसकी सेवाएं समाप्त न कर दी जाएं या नियमों अथवा विनियमों द्वारा उसके कार्यकाल, पारिश्रमिक अथवा सेवा के निबंधनों और शर्तों में सम्यक् परिवर्तन न कर दिया जाए।

2. यह निधि परिषदों के अध्यक्षों, परिषदों के पूर्णकालिक सदस्यों, आयोग और परिषदों के सदस्य सचिवों के देय वेतन और भत्तों, आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों सहित प्रशासनिक व्ययों और आयोग की स्थापना, रखरखाव और उसके कृत्यों के निर्वहन से संबंधित अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाएगा।

3. यह प्रस्ताव किया गया है कि केंद्र द्वारा वित्तपोषित उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली निधियन को विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के दायरे से बाहर रखा जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी यह परिकल्पना की गई है कि निधियन का कार्य शैक्षणिक मानक निर्धारण, विनियमन और प्रत्यायन करने वाली परिषदों से अलग होना चाहिए। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानक परिषद्, विनियामक परिषद् और प्रत्यायन परिषद् अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर सकें, केंद्र द्वारा वित्तपोषित उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को अनुदान वितरण का कार्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई व्यवस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि संबंधित मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं को दी जाने वाली निधियन जारी रहे और इस प्रकार राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं को वर्तमान में प्रदत्त वित्तीय स्वायत्तता पर कोई प्रभाव न पड़े।

4. चूंकि वास्तविक व्यय आयोग और परिषदों की बैठकों की संख्या पर निर्भर करेगा, इसलिए इस चरण पर आवर्ती और अनावर्ती व्यय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 5 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के नाम से ज्ञात एक आयोग की नियुक्ति और गठित करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 10 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद् के नाम से ज्ञात एक विनियमन परिषद् की नियुक्ति और स्थापना करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 13 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद् के नाम से ज्ञात एक प्रत्यायन परिषद् की नियुक्ति और स्थापना करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 15 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद् के नाम से ज्ञात एक मानक परिषद् की नियुक्ति और स्थापना करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 46 के उपखंड (1), यथास्थिति, आयोग या परिषदों को, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य या सदस्य सचिव को अपनी शक्तियों में ऐसी शक्तियां, धारा 51 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय, प्रत्यायोजित करने के लिए सशक्त करता है, जो वह आवश्यक समझे ।

विधेयक का खंड 47 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को, यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि (क) आयोग या परिषदों में से किसी परिषद् को इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन इस पर अधिरोपित कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है ; या (ख) इस अधिनियम के अधीन स्थापित यथास्थिति, आयोग या परिषद् केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन करने में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन इस पर अधिरोपित कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन करने में निरंतर व्यतिक्रम किया है तो केन्द्रीय सरकार भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा, यथास्थिति, आयोग या परिषद् को ऐसे अवधि के लिए जो छह मास से अधिक की नहीं होगी, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अतिष्ठित करने के लिए, सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 50 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित है—

(क) धारा 9 के खंड (1) के अधीन आयोग के अन्य कृत्य; (ख) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन विनियामक परिषद् के अन्य कृत्य; (ग) वह रीति जिसमें कोई विद्यमान या नया प्रत्यायित विश्वविद्यालय धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन घटक महाविद्यालय; आफ कैम्पस और बहु कैम्पस स्थापित करेगा; (घ) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन प्रत्यायन परिषद् के अन्य कृत्य; (ङ) धारा

16 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन मानक परिषद् के अन्य कृत्य ; (च) वह रीति जिसमें आयोग और परिषदों के अन्य सदस्य धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे; (छ) वह रीति जिसमें आयोग और परिषदों का सदस्य सचिव धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ; (ज) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन खोज-सह-चयन समिति की अवधि और नामों के पेनल के चयन की रीति; (झ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन संबंधित परिषदों के अध्यक्ष, सभापति और पूर्णकालिक सदस्यों को हटाने के लिए जांच की रीति और अवधि; (ञ) वह रीति जिसमें, यथास्थिति, आयोग या परिषदों के अन्य सदस्य धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाए जा सकेंगे; (ट) वह रीति जिसमें धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या संबंधित परिषदों के अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा घोषणा की जाएगी; (ठ) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन संबंधित परिषदों के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों तथा आयोग के एवं परिषदों के सदस्य सचिव को संदेश वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; (ड) धारा 29 के अधीन वह प्ररूप, रीति और प्राधिकारी जिसके समक्ष आयोग के अध्यक्ष एवं लक्ष्य तथा परिषद् के अध्यक्ष और इसके सदस्य के अध्यक्ष और इसके सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व पद की और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा; (ढ़) धारा 31 के अधीन आयोग तथा परिषदों के लिए सचिवालय ; (ण) धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार के स्थापित ऐसे उच्चतर शैक्षिक संस्था को बंद करने की रीति; (त) धारा 34 के अधीन विनियामक परिषद् द्वारा न्यायनिर्णयन तंत्र को स्थापित करने की रीति; (थ) धारा 37 के अधीन केन्द्रीय सरकार के समक्ष आयोग या परिषदों में से किसी परिषद् के आदेश के विरुद्ध अपील करने की अवधि और रीति; (द) धारा 40 के अधीन वह प्ररूप और अवधि जिसमें आयोग द्वारा बजट तैयार किया जाना है; (ध) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप और रीति जिसमें आयोग लेखाओं तथा अन्य अभिलेखों को बनाए रखा जाएगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा; (न) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप, रीति और अवधि जिसके भीतर आयोग केन्द्रीय सरकार को रिपोर्टें तथा विवरणों को प्रस्तुत करेगा ; (प) धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति और अवधि जिसमें आयोग परिषदों के साथ समन्वय करके प्रत्येक वर्ष में एक बार एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ; (फ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों द्वारा उपबंधित किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 51 का उपखंड (1) प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बनाने के लिए आयोग और परिषदों को सशक्त करता है ।

उक्त खंड का उपखंड (2) उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(क) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन आयोग की बैठकों के कारबार संव्यवहार जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है के संबंध में प्रक्रिया; (ख) धारा 10 की उपधारा (5) के

अधीन ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की रीति जो उनकी बैठकों के लिए 'विशेष आमंत्री' के रूप में विनियामक परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए; (ग) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन खंड (घ), खंड (ड.), खंड (ञ), खंड (ण), खंड (त), खंड (थ), खंड (द) से भिन्न उपधारा (2) में निर्दिष्ट खंडों के अधीन विनियामक परिषद् के कृत्य; (घ) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन, विश्वविद्यालय से भिन्न प्रत्यायित उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उपाधियां प्रदान करने के प्राधिकरण की रीति; (ड.) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन विनियामक परिषद् की बैठकों में कारबार का संव्यवहार (जिसमें ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) के संबंध में प्रक्रिया; (च) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की रीति जो उनकी बैठकों के लिए 'विशेष आमंत्री' के रूप में प्रत्यायन परिषद् द्वारा अवधारित की जाए ; (छ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) से भिन्न उपधारा (2) में निर्दिष्ट खंडों के अधीन प्रत्यायन परिषद् के कृत्य ; (ज) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन संस्थागत प्रत्यायन रूपरेखा को विनिर्दिष्ट करना; (झ) धारा 14 की उपधारा (6) के अधीन प्रत्यायन परिषद् की बैठकों में कारबार के संव्यवहार (जिसमें ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) के संबंध में प्रक्रिया; (ञ) धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की रीति जो उनकी बैठकों के लिए 'विशेष आमंत्री' के रूप में मानक परिषद् द्वारा अवधारित की जाए ; (ट) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन खंड (ख), खंड (ग), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ट), और खंड (ठ) से भिन्न उपधारा (2) में निर्दिष्ट खंडों के अधीन मानक परिषद् के कृत्य; (ठ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन मानक परिषद् की बैठकों में कारबार के संव्यवहार (जिसमें ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) के संबंध में प्रक्रिया; (ड) ऐसी रीति और प्रयोजनों जिनके लिए आयोग एवं परिषदें धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन सहायता या सलाह के लिए ऐसे व्यक्तियों के साथ सहयुक्त हो सके ; और धारा 49 के अधीन राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं तथा उत्कृष्ट संस्थाओं को प्रदत्त सांस्थानिक स्वायत्ता और स्वतंत्रता की रीति ।

खंड 54 का उपखंड (2) केंद्रीय सरकार को जब तक आयोग के अध्यक्ष, संबंधित परिषदों के सभापति, और पूर्णकालिक सदस्य, आयोग तथा परिषदों के सदस्य-सचिव और ऐसे अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रभावी होने तक, केन्द्रीय सरकार संक्रमणकालीन उपाय के रूप में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा आयोग के पहले अध्यक्ष को आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दो वर्ष की अवधि के लिए या आयोग और परिषदों के गठन हो जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, आयोग के अध्यक्ष, संबंधित परिषदों के सभापति और पूर्णकालिक सदस्य, आयोग तथा परिषदों के सदस्य सचिव, तथा ऐसे अन्य सदस्यों को नियुक्त करने हेतु सशक्त करता है ।

2. ये विषय, जिनके संबंध में, इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे या आदेश जारी किए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है ।

3. इसलिए, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।